



Microfinance Institutions Network (MFIN)

Consolidated Coverage Report:

October 2019

Media Coverage Index

S. No.	Publication Name	Media
ESAF SFB helps in transforming lives: Chattisgarh		
1.	Central Chronicle	Print
2.	Dabang Duniya	Print
3.	Swadesh	Print
4	Ispat Times	Print
5.	Pratidin Rajdhani	Print
6.	Aman Path	Print
7.	Tarun Chattisgarh	Print
8.	Agradoot	Print
9.	Dainik Vishwa Pariwar	Print
10.	Prakhar Samachar	Print
Fincare SFB helps in transforming lives: Tigaon, Haryana		
1.	Pioneer	Print
2.	Hindustan Express	Print
3.	Virat Vaibhav	Print
4	Uday Bhaskar	Print
5.	Action India	Print
6.	Globaltoday	Print
7.	Satyajai Times	Print
8.	Sher E Haryana	Print
Jana Small Finance Bank empowers women to become self-reliant: Yamunanagar, Haryana		
1.	Action India	Print
2.	Yugmarg_Haryana	Print
3.	Haryana Mail	Print
4	City Media	Print
5.	Atal Hind	Print

6.	Ashwini Times	Print
7.	Satyajai Times	Print
8.	Hadauti Adhikar	Print
RBI policy		
1.	The Economic Times	Print
2.	The Hindu Business Line	Print
3.	Business Standard	Print
4.	The Hindu	Print
5.	Asian Age	Print
6.	Deccan Chronicle	Print
7.	Telegraph	Print
8.	Rashtriya Sahara	Print
9.	Virat Vaibhav	Print
10.	Bartaman	Print
11.	The Economic Times.com	Online
12.	The Hindu Business Line.com	Online
13.	The Hindu.com	Online
14.	Mydigitalfc.com	Online
15.	Asian Age.com	Online
16.	Deccan Chronicle.com	Online
17.	Fortune India.com	Online
18.	BloombergQuint.com	Online
19.	Dailyhunt.com	Online
20.	Dailyhunt.com	Online
21.	Newstracklive.com	Online
22.	PTI Bhasha	Online
23.	Financial Express Hindi.com	Online
24.	Indiatvnews.com	Online
25.	Prabhat Khabar.com	Online
26.	Republic Hindi.com	Online

27.	Attacknews.in	Online
-----	---------------	--------



Microfinance Institutions Network (MFIN)

Coverage Report: ESAF SFB case study

Publication	Central Chronicle
Edition	Raipur
Date	20 th October, 2019
Page No.	15

ESAF SFB helps in transforming lives in Chhattisgarh

■ Aids aspiring women entrepreneurs to be financially independent

Central Chronicle News

Raipur, Oct 19: Mrs. Kuntibai Viwakarma belongs to Kusurupali, district Mahasamund a small village in Chhattisgarh. Her story of determination and struggle from a dependent individual to an entrepreneur is quite exemplary.

Similar to the other residents of the village, Kuntibai's family was succumbing under the pressure of poverty. Without much income contribution from her husband and with two growing adolescent boys, the family's expenses were getting unmanageable. Her life took a complete turn when she became a member of ESAF SFB in 2007 from where she took up to 18 cy-

cles of loans gradually increasing in value. She not only repaid the loans on time with consistent earnings but also helped 18 other families in identify in income source.

ESAF SFB's initial loan offering of Rs. 4000 kick-started Kuntibai's business as a local vegetable seller and generated her daily income of around Rs. 400-500. The growing expenses of a family of 4 got her thinking big. So, after successfully repaying her 1st loan, she took a 2nd loan of Rs. 8000 to buy a two-wheeler in order to spread her business further and thus was able to increase her family's daily income considerably. During 2009-12, she took another loan to rent a shop where she sold other essentials along with vegetables. She further bought a second-hand auto-rickshaw to offer mobile grocery services. Working in a systematic manner gave a boost to Kuntibai's ambi-

tions to start a new business of tea packaging and candle making at a large scale where she employed 7 women who were paid daily wages. To expand the delivery services of her products, she took yet another loan to buy a Maruti Omni. Later in 2015, Kuntibai took a loan for borewell connection & toilet facility at her house. Her slow and systematic progress along with timely re-payment of her dues made her eligible for loans of a higher value and also reflected well on her credit ratings.

Through the support of ESAF SFB she was also able to purchase sewing machines and employed 4 women for stitching on daily wages including a sales person. Kuntibai claims that with all these loans from ESAF SFB, her family's income grew considerably and as a result her income became sustainable to an extent that they were able to provide

employment to other people who were struggling for financial stability. ESAF Small Finance Bank formerly known as ESAF Microfinance is an Indian small finance bank providing banking services and small loans to the under-banked.

Before becoming a bank, ESAF was a NBFC-MFI, licensed by the RBI and headquartered in Thrissur city of Kerala. Last year, ESAF was the first bank from India to become a member of the GABV- Global Alliance for Banking on Values, a network of sustainable banks including credit unions, community banks and microfinance banks around the world, who work towards the goal of touching one billion lives by 2020 through sustainable banking. So far, ESAF has brought approximately over 30 lakh women into the financial inclusion space across 15 states in India.

Publication	Dabang Duniya
Edition	Raipur
Date	19 th October, 2019
Page No.	9

कुन्तीबाई बनी आर्थिक स्वावलंबी

दबंग रिपोर्टर रायपुर

श्रीमती कुन्तीबाई विश्वकर्मा एक छोटे से गांव कुसरुपाली, जिला महासमुंद की रहने वाली हैं। अपने परिवार के सहारे जीवन बिताने से लेकर एक उद्यमी बनने का उनका संघर्ष और उनके दृढ़ संकल्प की कहानी बेहद प्रेरणादायक है।

गांव के दूसरे लोगों की तरह कुन्तीबाई का परिवार गरीबी के दलदल में फंसा हुआ था। घर की आमदनी में पति की ओर से कोई विशेष योगदान न होने और बढ़ती उम्र वाले दो किशोर बच्चों के साथ, परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था। 2007 में ईएसएफ एसएफबी की सदस्य बनने के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने यहाँ से 18 बार ऋण लिया और धीरे-धीरे कर्ज राशि में वृद्धि करती गई। उन्होंने न केवल स्थाई रूप से आमदनी कमाने के साथ समेय पर अपना ऋण चुकाया बल्कि 18 अन्य परिवारों को भी आय का स्रोत प्राप्त करने में मदद की। ईएसएफ एसएफबी से मिले 4000 रुपये के शुरुआती ऋण के साथ कुन्तीबाई ने सब्जी बेचने का व्यवसाय शुरू किया और प्रतिदिन लगभग 400-500 रुपये कमाने लगी। 4 लोगों के परिवार के बढ़ते खर्च के चलते उन्होंने बड़ा सोचने का फैसला किया। ऐसे में, अपने पहले ऋण को सफलतापूर्वक चुकाने के बाद, उन्होंने अपने व्यवसाय को फैलाने की सोची और एक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 8000 रुपये का दूसरा ऋण लिया। इस तरह वह



अपने परिवार की दैनिक आय में काफी अधिक वृद्धि कर पाई। 2009-12 के दौरान, उन्होंने एक दुकान किराये पर लेने के लिए नया ऋण लिया, जहाँ उन्होंने सब्जियों के साथ अन्य दैनिक उपयोग वाली चीजें बेचनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने चलती-फिरती किराना दुकान खोलने के लिए एक सेकेंडहैंड ऑटो-रिक्शा खरीदा। व्यवस्थित तरीके से काम करने से कुन्तीबाई की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिला, इसके साथ उन्होंने बड़े पैमाने पर चाय की पैकेजिंग और मोमबत्ती बनाने का एक नया व्यवसाय शुरू किया। यहाँ उन्होंने दैनिक वेतन पर 7 महिलाओं को नौकरी पर रखा। अपने उत्पादों की डिलिवरी सर्विस का विस्तार करने के लिए, उन्होंने एक मारुति ओमनी वैन खरीदने के लिए एक और ऋण लिया। इसके बाद 2015 में, कुन्तीबाई ने अपने घर पर बोरवेल कनेक्शन और शौचालय की सुविधा के लिए भी ऋण लिया।

Publication	Swadesh
Edition	Raipur
Date	19 th October, 2019
Page No.	02

छत्तीसगढ़ की कुन्तीबाई विश्वकर्मा बनी आर्थिक स्वालंबी

**महिला उद्यमियों को
आर्थिक रूप संपन्न बना रहा
है ईएसएफएसएफबी**

रायपुर। बीगती कुन्तीबाई विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव कुसरफली जिला महासमुंद की रहने वाली हैं। अपने परिवार के सहारे जीवन बिताते थे लेकिन एक उद्यमी बनने का उनका सपना और उनके दृढ़ संकल्प की कहानी बेहद प्रेरणादायक है।

गाँव के दूसरे लोगों की तरह कुन्तीबाई का परिवार गरीबी के दलदल में फँसा हुआ था। घर की आमदनी में पति की और से कोई विशेष योगदान न होने और बढ़ती उम्र वाले दो किशोर बच्चों के साथ परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था। 2007 में ईएसएफएसएफबी को सदस्य बनने के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने यहाँ से 18 बार ऋण लिया और धीरे-धीरे कर्ज राशि में घुट्टि करती गई।



उन्होंने न केवल स्थाई रूप से आमदनी कमाने के साथ समय पर अपना ऋण चुकाया बल्कि 18 अन्य परिवारों को भी आय का स्रोत प्राप्त करने में मदद की। ईएसएफएसएफबी से मिले 4000 रुपये के शुरुआती ऋण के साथ कुन्तीबाई ने सब्जी बेचने का व्यवसाय शुरू किया और प्रतिदिन लगभग 400-500 रुपये कमाने लगी। 4 लोगों के परिवार के बढ़ते खर्च के चलते उन्होंने बहुत सोचने का

फैसला किया। ऐसे में अपने पहले ऋण को सफलतापूर्वक चुकाने के बाद उन्होंने अपने व्यवसाय को फैलाने की सोची और एक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 8000 रुपये का दूसरा ऋण लिया। इस तरह वह अपने परिवार की दैनिक आय में काम में अधिक वृद्धि कर पाई। 2009-12 के दौरान उन्होंने एक दुकान किराये पर लेने के लिए नया ऋण लिया। जहाँ उन्होंने सब्जियों के साथ अन्य दैनिक उपयोग वाली चीजें बेचनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने चलती फिटी किराना दुकान खोलने के लिए एक सेकेंड हैंड ऑटो रिक्शा खरीदा।

व्यवस्थित तरीके से काम करने से कुन्तीबाई की महत्वाकांक्षों को बढ़ावा मिला। इसके साथ-साथ बड़े पैमाने पर चाय की पैकिंग और मोमबत्ती बनाने का एक नया व्यवसाय शुरू किया। यहाँ उन्होंने दैनिक वेतन पर 7 महिलाओं को नौकरी पर रखा। अपने उत्पादों की ऑनलाइन सर्विस का विस्तार करने के

लिए उन्होंने एक खासि ओमनी वेन खरीदने के लिए ऋण और ऋण लिया। इसके बाद 2015 में कुन्तीबाई ने अपने घर पर कोबिल कनेक्शन और स्टोबलस की सुविधा के लिए भी ऋण लिया।

बकाया ऋण राशि के समय पर पुनः भुगतान के साथ धीमी गति पर व्यवस्थित प्रगति ने उन्हें अधिक राशि के ऋण का पात्र बना दिया और इससे उनकी फोर्टिफिकेशन भी अच्छी दिखने लगी। ईएसएफएसएफबी की मदद से वह सिलाई मशीन खरीद सकी और एक सेल्फो पर्सनल सहित दैनिक वेतन के आधार पर सिलाई के लिए 4 महिलाओं को काम पर रख लिया। कुन्तीबाई मानती हैं कि ईएसएफएसएफबी के इन सभी ऋणों के साथ उनके परिवार की आय में काफी वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप उनकी आय उस स्तर तक पहुँच गई जिससे कि वे ऐसे लोगों को रोजगार प्रदान करने में भी सक्षम हो गई जो वित्तीय स्थिरता पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

Publication	Ispat Times
Edition	Raipur
Date	19 th October, 2019
Page No.	03

छत्तीसगढ़ की कुन्तीबाई विश्वकर्मा बनी आर्थिक स्वालंबी

रायपुर। श्रीमती कुन्तीबाई विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव कुमरुपाली, जिला महासमुंद की रहने वाली हैं। अपने परिवार के सहारे जीवन बिताने से लेकर एक उद्यमी बनने का उनका संघर्ष और उनके हठ संकल्प की कहानी बेहद प्रेरणादायक है।

गाँव के दूसरे लोगों की तरह, कुन्तीबाई का परिवार गरीबी के दलदल में फँसा हुआ था। घर की आमदनी में पति की ओर से कोई विशेष योगदान न होने और बढ़ती उम्र वाले दो किशोर बच्चों के साथ, परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था। 2007 में ईएसएएफ एसएफबी की सदस्य बनने के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने यहाँ से

18 बार ऋण लिया और धीरे-धीरे कर्ज राशि में वृद्धि करती गई। उन्होंने न केवल स्थाई रूप से आमदनी कमाने के साथ समय पर अपना ऋण चुकाया बल्कि 18 अन्य परिवारों को भी आय का स्रोत प्राप्त करने में मदद की।

ईएसएएफ एसएफबी से मिले 4000 रुपये के शुरुआती ऋण के साथ कुन्तीबाई ने सब्जी बेचने का व्यवसाय शुरू किया और प्रतिदिन लगभग 400-500 रुपये कमाने लगीं। 4 लोगों के परिवार के बढ़ते खर्च के चलते उन्होंने बड़ा सोचने का फैसला किया। ऐसे में, अपने पहले ऋण को सफलतापूर्वक

चुकाने के बाद, उन्होंने अपने व्यवसाय को फैलाने की सोची और



एक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 8000 रुपये का दूसरा ऋण लिया। इस तरह वह अपने परिवार की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर पाईं। 2009-12 के दौरान, उन्होंने एक दुकान किराये पर लेने

के लिए नया ऋण लिया, जहाँ दैनिक उपयोग वाली चीजें बेचनी शुरू कीं। इसके बाद 2015 में, उन्होंने चलती-फिरती किराना दुकान खोलने के लिए एक सेकेंड हैंड अटो-रिक्शा खरीदा।

सराबरीशारी तरीके से काम करने से कुन्तीबाई की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिला, इसके साथ उन्होंने बड़े पैमाने पर चाय की पैकेजिंग और मोमबत्ती बनाने का एक नया व्यवसाय शुरू किया। यहाँ उन्होंने दैनिक वेतन पर 7 महिलाओं को

नौकरी पर रखा। अपने उत्पादों की डिजिटली सर्विस का विस्तार करने के लिए, उन्होंने एक मासिक ओमनी बैंक खरीदने के लिए एक और ऋण लिया। इसके बाद 2015 में, कुन्तीबाई ने अपने घर पर खोले कनेक्शन और सौचालय की सुविधा के लिए भी ऋण लिया।

बकाया ऋण राशि के समय पर पुनः भुगतान के साथ धीमी मगर व्यवस्थित प्रगति ने उन्हें अधिक राशि के ऋण का पात्र बना दिया और इससे उनकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी दिखने लगी। ईएसएएफ एसएफबी की मदद से वह सिलाई मशीन खरीद सकीं और एक सेल्फो परसन सहित दैनिक वेतन के आधार पर सिलाई के लिए 4 महिलाओं को काम पर रखा लिया।

Publication	Pratidin Rajdhani
Edition	Raipur
Date	19 th October, 2019
Page No.	08

छत्तीसगढ़ की कुन्तीबाई विश्वकर्मा बनी आर्थिक स्वालंबी

महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बना रहा है ईएसएफ एसएफबी

प्रतिदिन नैटवर्क, रायपुर
श्रीमती कुन्तीबाई विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव कुसरुपाली, जिला महासमुंद की रहने वाली हैं। अपने परिवार के सहारे जीवन बिताने से लेकर एक जहनी बनने का उनका संघर्ष और उनके दृढ़ संकल्प की कहानी बेहद प्रेरणादायक है।

गाँव के दूसरे लोगों की तरह, कुन्तीबाई का परिवार मरीची के दलदल में फँसा हुआ था। घर की आगवनी में पति की ओर से कोई विशेष योगदान न होने और बढ़ती उस घाले से किशोर बच्चों के साथ, परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था। 2007 में ईएसएफ एसएफबी की सदस्य बनने के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह

से बदल गई। उन्होंने साल से 18 बार ज्ञान लिया और धीरे-धीरे कर्ज राशि में वृद्धि करती गई। उन्होंने न केवल स्वयं रूप से आगवनी कमाने के साथ-साथ पर अपना ज्ञान चुकताया बल्कि 18 अन्य परिवारों को भी आय का स्रोत प्राप्त करने में मदद की।

ईएसएफ एसएफबी से मिले 4000 रुपये के शुरुआती ज्ञान के साथ कुन्तीबाई ने सक्ती बेघन का व्यवसाय शुरू किया और प्रतिदिन लगभग 400-500 रुपये कमाते लगी। 4 लोगों के परिवार के बढ़ते खर्च के चलते उन्होंने बड़ा सोचने का फैसला किया। ऐसे में, अपने पहले ज्ञान को शफलतापूर्वक चुकाने के बाद, उन्होंने अपने व्यवसाय को पैमाने की सीढ़ी और एक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 8000 रुपये का दूसरा ज्ञान



लिया। इस तरह वह अपने परिवार की दैनिक आय में काफी अधिक वृद्धि कर पाई। 2009-12 के दौरान, उन्होंने एक दुकान किराये पर लेने के लिए नया ज्ञान लिया, जहाँ उन्होंने सक्ती के साथ अन्य दैनिक उपयोग वाली चीजें बेचनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने चलती-फिरती किराने दुकान खोलने के लिए एक सेकंड हैंड ऑटो-रिक्शा खरीदा। व्यवसाय तरीके से काम करने से कुन्तीबाई की

महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिला, इसके साथ उन्होंने बड़े पैमाने पर काम की पैकेजिंग और मोमबत्ती बनाने का एक नया व्यवसाय शुरू किया। यहाँ उन्होंने दैनिक वेतन पर 7 महिलाओं को नोकरी पर रखा। अपने उत्पादों की क्लिबसे सर्विस का विस्तार करने के लिए, उन्होंने एक मासिक ओमनी डैन खरीदने के लिए एक और ज्ञान लिया। इसके बाद 2015 में, कुन्तीबाई ने अपने घर पर बीरबेल कनेक्शन और शौचालय की सुविधा के

लिए भी ज्ञान लिया।

वसावा ज्ञान राशि के समय पर, पुनः मुगलान के साथ छोटी मगर व्यवसाय प्रगति ने उन्हें अधिक राशि के ज्ञान का पात्र बना दिया और इससे उनकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी दिखने लगी। ईएसएफ एसएफबी की मदद से वह सिलाई मशीन खरीद सकी और एक सेलुलैर फॉरेन कॉलिंग दैनिक वेतन के आधार पर सिलाई के लिए 4 महिलाओं को काम पर रख लिया।

कुन्तीबाई मानती हैं कि ईएसएफ एसएफबी के इन सभी ज्ञानों के साथ, उनके परिवार की आय में काफी वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप उनकी आय उस स्तर तक पहुंच गई, जिससे कि वे ऐसे लोगों को रोजगार प्रदान करने में भी सक्षम हो गईं, जो वित्तीय स्थिरता पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

Publication	Aman Path
Edition	Raipur
Date	19 th October, 2019
Page No.	13

छत्तीसगढ़ की कुन्तीबाई विश्वकर्मा बनी आर्थिक स्वालंबी

महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप संपन्न बना रहा है ईएसएफएफ एसएफबी

अमन पथ न्यूज

रायपुर। श्रीमती कुन्तीबाई विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव कुमरगामी, जिला महासमुंद की रहने वाली हैं। अपने परिवार के सहारे जीवन बिताते थे लेकिन एक उद्यमी बनने का उनका सोचन और उनके बड़ संकल्प की कसौटी के तहत प्रेरणादायक है। यह कि दूसरे लोगों की तरह, कुन्तीबाई का परिवार गरीबी के दलदल में फिसा हुआ था।

घर की आयदारी में पति की और से कोई विशेष योगदान न होने और बढ़ते उम्र वाले दो किशोर बच्चों के साथ, परिशा का घर चर्च फलान मुश्किल होता जा रहा था। 2007 में ईएसएफ

एसएफबी की मदद बनने के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने यहाँ से 18 लाख रुपये लिए और घरे-घरे काँच रस्ते में बुँड करवाई गई। उन्होंने न केवल स्वयं रूप से आयदारी करने के साथ समय पर अपना श्रम चुकाया बल्कि 18 अन्य परिवारों को भी अवसर का खेत प्राप्त करने में मदद की। ईएसएफएफ एसएफबी से मिले 4000 रुपये के मुक्त-अवधि रूप के साथ कुन्तीबाई ने सच्ची बेचने का व्यवसाय शुरू किया और प्रतिदिन लगभग 400-500 रुपये कमाते लगीं। 14 लोगों के परिवार के बड़े खर्च के चलते उन्होंने बड़ा सोचने का फैसला किया। ऐसे में, अपने पहले ज्ञान को सकलानुपूर्वक



बुँकने के बाद, उन्होंने अपने व्यवसाय को फैलाने की सोची और एक गोपनीय वाहतूत खरीदने के लिए 8000 रुपये का दूसरा ज्ञान लिया। इस तरह वह अपने परिवार को दैनिक ज्ञान में काफी अधिक बुँड कर गईं। 2009-12 के दौरान,

उन्होंने एक मुकदमा किया पर लेने कि लिए नया ज्ञान लिया, जहाँ उन्होंने सॉफ्टवेयर के साथ अन्य दैनिक उपयोग वाली चीजें बेचनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने चलते-फिरते किराया दुकान खोलने के लिए एक समेटे हैंड ऑटो-रिक्शा

खरीदा। व्यवस्थित तरीके से काम करने में कुन्तीबाई की पहलवानकताओं को बढ़ावा मिला, इसके साथ उन्होंने बड़े पैमाने पर चाय की पैकजिंग और मोमकरी बनाने का एक नया व्यवसाय शुरू किया। वहाँ उन्होंने दैनिक बेतन पर 2 महिलाओं को नौकरी पर रखा। अपने उत्पादों की डिजिटली सॉफ्टवेयर का विकास करने के लिए, उन्होंने एक सॉफ्टवेयरमैन को खरीदने के लिए एक और ज्ञान लिया। इसके बाद 2015 में, कुन्तीबाई ने अपने घर पर भोरबेल करनेबलन और सौपालन की दुनिया के लिए दो ज्ञान लिया। कबला ज्ञान सॉफ्ट के समय पर मुक्त-अवधि के साथ योगी बन व्यवस्थित जगति

ने उन्हें अधिक राशि के ज्ञान का पात्र बन दिया और इससे उनकी जॉइंट रेंटिंग भी अच्छी दिखने लगी। ईएसएफएफ एसएफबी की मदद से वह सिताई बस्तीने खरीद सकती और एक सेल्फो पर्सनल जॉइंट दैनिक बेतन के आधार पर सिलगुई के लिए 4 महिलाओं को काम पर रख लिया। कुन्तीबाई मानती हैं कि ईएसएफएफ एसएफबी के इन सभी ज्ञानों के साथ, उनके परिवार की अब में काफी बुँड हुई। इसके परिणामस्वरूप उनकी अब इस स्तर पर एक पुरुष नहीं, जिससे कि वे ऐसे लोगों को बेजगार प्रकट करने में भी सक्षम हो गई जो पिछले निमाराप करने के लिए योग्य कर रहे थे।

Publication	Tarun Chattisgarh
Edition	Raipur
Date	19 th October, 2019
Page No.	03

छत्तीसगढ़ की कुन्तीबाई विश्वकर्मा बनी आर्थिक स्वावलंबी

रायपुर , 19 अक्टूबर। श्रीमती कुन्तीबाई विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव कुसरपाली, जिला महासमुंद की रहने वाली हैं। अपने परिवार के सहारे जीवन बिताने से लेकर एक उद्यमी बनने का उनका संघर्ष और उनके दृढ़ संकल्प की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। गाँव के दूसरे लोगों की तरह, कुन्तीबाई का परिवार गरीबी के दलदल में फँसा हुआ था। घर की आमदनी में पति की ओर से कोई विशेष योगदान न होने और बढ़ती उम्र वाले दो किशोर बच्चों के साथ, परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था। 2007 में ईएसएफ एसएफबी की सदस्य बनने के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने यहाँ से 18 बार ऋण लिया और धीरे-धीरे कर्ज राशि में वृद्धि करते गईं। उन्होंने न केवल स्थाई रूप से आमदनी कमाने के साथ समय पर अपना ऋण चुकाया बल्कि 18 अन्य परिवारों को भी आय का स्रोत प्राप्त करने में मदद की। ईएसएफ एसएफबी से मिले 4000 रुपये के शुरुआती ऋण के साथ कुन्तीबाई ने सब्जी बेचने का व्यवसाय शुरू किया और प्रतिदिन लगभग 400-500 रुपये कमाने लगी। 4 लोगों के परिवार के बढ़ते खर्च के चलते उन्होंने बड़ा सोचने का फैसला किया।

Publication	Agradoot
Edition	Raipur
Date	19 th October, 2019
Page No.	05

कुन्तीबाई विश्वकर्मा बनी आर्थिक स्वावलम्बी

रायपुर। श्रीमती कुन्तीबाई विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव कुसरुपाली, जिला महासमुंद की रहने वाली हैं। अपने परिवार के सहारे जीवन बिताते से लेकर एक उद्यमी बनने का उनका संपर्ष और उनके दृढ़ संकल्प की कहानी बेहद प्रेरणादायक है।

गाँव के दूसरे लोगों की तरह, कुन्तीबाई का परिवार गरीबी के दलदल में फँसा हुआ था। घर की आमदनी में पति की ओर से कोई विशेष योगदान न होने और बढ़ती ठग वाली दो किताबें बच्चों के साथ, परिवार का खर्च चराना मुश्किल होता जा रहा था। 2007 में ईएसएफ एसएफबी की सदस्य बनने के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह

से बदल गई। उन्होंने यहां से 18 बार ऋण लिया और धीरे-धीरे कर्ज राशि में वृद्धि करती गई। उन्होंने न केवल स्मार्ट रूप से आमदनी कमाने के साथ समय पर अपना ऋण चुकाया बल्कि 18 अन्य परिवारों को भी आश का स्रोत प्राप्त करने में मदद की।

ईएसएफ एसएफबी से मिले 4000 रुपये के शुरुआती ऋण के साथ कुन्तीबाई ने सब्जी बेचने का व्यवसाय शुरू किया और प्रतिदिन लगभग 400-500 रुपये कमाने लगीं। 4 लोगों के परिवार के बहुत खर्च के चलते उन्होंने बड़ा सोचने का फैसला किया। ऐसे में, अपने पहले ऋण को सफलतापूर्वक चुकाने के बाद, उन्होंने अपने

महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप से संपन्न बना रहा है ईएसएफ एसएफबी

व्यवसाय को फैलाने की सोचो और एक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 8000 रुपये का दूसरा ऋण लिया। इस तरह वह अपने परिवार की दैनिक आय में काफी अधिक वृद्धि कर पाईं। 2009-12 के दौरान, उन्होंने एक दुकान किराये पर लेने के लिए नया ऋण लिया, जहाँ उन्होंने सब्जियों के साथ अन्य दैनिक उपयोग वाली चीजें बेचनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने चलती-फिरती किराना दुकान खोलने के लिए एक सेकेंड हैंड ऑटो-रिक्शा खरीदा।

व्यवस्थित तरीके से काम करने से कुन्तीबाई की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिला, इसके साथ उन्होंने बड़े पैमाने पर चाय की पैकेजिंग और मोमबत्ती बनाने का एक नया व्यवसाय शुरू किया। यहाँ उन्होंने दैनिक खेतन पर 7 महिलाओं को नौकरी पर रखा। अपने उत्पादों की डिजिटरी सर्विस का विस्तार करने के लिए, उन्होंने एक मारुति ओमनी वैन खरीदने के लिए एक और ऋण लिया। इसके बाद 2015 में, कुन्तीबाई ने अपने घर पर बोरवेल कनेक्शन और शीघ्रालय की सुविधा के लिए भी ऋण लिया। बकाया ऋण राशि के समय पर पुनः भुगतान के साथ भीमो मगर व्यवस्थित

प्रगति ने उन्हें अधिक राशि के ऋण का पात्र बना दिया और इससे उनकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी दिखने लगी। ईएसएफ एसएफबी की मदद से वह सिलाई मशीनें खरीद सकीं और एक सेल्सी पर्सन सल्लि दैनिक खेतन के आधार पर सिलाई के लिए 4 महिलाओं को काम पर रख लिया। कुन्तीबाई मानती हैं कि ईएसएफ एसएफबी के इन सभी ऋणों के साथ, उनके परिवार की आय में काफी वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप उनकी आम 'उम्र इतना तक पहुंच गई, जिससे कि वे ऐसे लोगों को रोजगार प्रदान करने में भी मध्यम हो गईं, जो वित्तीय स्थिरता पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।

Publication	Dainik Vishwa Pariwar
Edition	Raipur
Date	19 th October, 2019
Page No.	02

महिला उद्यमी के रूप में महासमुंद की कुन्तीबाई विश्वकर्मा बनी आर्थिक स्वावलंबी

ईएसएफ एसएफबी गरीब महिलाओं को बना रहा है आर्थिक रूप से संपन्न

रायपुर (विश्व परिवार)। छत्तीसगढ़ मिश्र जिला महासमुंद के एक छोटे गांव कुसुरुपाली की रहने वाली कुन्तीबाई अपने परिवार के सहारे जीवन बिताने से लेकर एक उद्यमी बनने का उनका संघर्ष और उनके दुर्लभ संकल्प की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। गरीबी की दलदल में फंसा कुन्तीबाई व उसके प्रति की कम आय और आर्थिक तंगी से परेशान उनका परिवार गरीबी की मार से बाहर तब निकल पाया जब वे 2007 में ईएसएफ एसएफबी से जुड़े। जिसके बाद उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। कुन्तीबाई ने हिम्मत के साथ ईएसएफ एसएफबी से कुल 18 बार ऋण लिया और हर बार अपने परिवार की आर्थिक सुदृढीकरण कर दूसरों को भी इससे जुड़ने प्रेरित की। कुन्तीबाई सबसे पहले चार हजार रुपये की ऋण लेकर सब्जी-भाजी की धंधा



शुरू की। धंधा चल निकला। बढ़ते आर्थी और खर्च के चलते कुन्तीबाई ने आय के स्रोत को बढ़ाने की सोची और दूसरी बार आठ हजार का लोन लेकर दोपहिया चाहन खरीदा लिया। इस तरह अपने परिवार की आय के स्रोत में निरन्तर इजाफा होने से नए हौसले के साथ एक दुकान किराए पर लेने के लिए फिर ये ऋण लिया। उसने सब्जी के साथ दैनिक उपयोग वाली चीजें बेचने शुरू किये जिसके लिए चलती-फिरती किराना दुकान खोलने के लिए एक सेकेंड हैंड ऑटो-रिक्शा खरीदा। इस तरह व्यवस्थित तरीके से काम

करने पर कुन्तीबाई व उसके परिवार वालों की महत्वाकांक्षाओं ने आकार लेना शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर चाय पैकेजिंग व मोमबत्ती बनाने का काम भी शुरू कर दिया।

सात अन्य महिलाओं को अपने व्यवसाय से जोड़ कर उसने एक मारुति ओमनी वैन खरीदने के लिए पुनः ऋण लेकर कुन्तीबाई ने अपने घर में बौरवेल कनेक्शन और शौचालय का निर्माण भी करा ली। इस तरह ऋण लेकर समय पर इसकी किस्त अदायगी के साथ कुन्ती बाई आत्मनिर्भर बन गई।

Publication	Prakhar Samachar
Edition	Raipur
Date	19 th October, 2019
Page No.	11

छत्तीसगढ़ की कुन्तीबाई विश्वकर्मा बनी आर्थिक स्वालंबी

रायपुर (प्रखर)। श्रीमती कुन्तीबाई विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गाँव कुसरपाली, जिला महासमुंद की रहने वाली हैं। अपने परिवार के सहारे जीवन बिताने से लेकर एक ठोड़ी बनने का उनका संघर्ष और उनके दुःख संकल्प की कहानी बेहद प्रेरणादायक है।

गाँव के दूसरे लोगों की तरह, कुन्तीबाई का परिवार गरीबों के इलाक़ में फँसा हुआ था। घर की आमदनी में पति की ओर से कोई विशेष योगदान न होने और बढ़ती उम्र वाले दो किशोर बच्चों के साथ, परिवार का खर्च चलाना मुश्किल होता जा रहा था।

2007 में ईएसएफ़ एसएफ़बी की सदस्य बनने के बाद से उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने यहाँ से 18 बार ऋण लिया और धीरे-धीरे कर्ज राशि में वृद्धि करती गई। उन्होंने न केवल स्थाई

रूप से आमदनी कमाने के साथ समय पर अपना ऋण चुकाया वार्षिक 18 अन्य परिवारों को भी आय का स्रोत प्राप्त करने में मदद की। ईएसएफ़ एसएफ़बी से मिले

महिला उद्यमियों को आर्थिक रूप संपन्न बना रहा है ईएसएफ़ एसएफ़बी

4000 रुपये के शुरुआती ऋण के साथ कुन्तीबाई ने सब्जी बेचने का व्यवसाय शुरू किया और प्रतिदिन लगभग 400-500 रुपये कमाने लगी। 4 लोगों के परिवार के बढ़ते खर्च के चलते उन्होंने बड़ा सोचने का फैसला किया। ऐसे में, अपने पहले ऋण को सफलतापूर्वक चुकाने के बाद, उन्होंने अपने व्यवसाय को फैलाने की सोची और एक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए 8000 रुपये का दूसरा ऋण लिया। इस तरह वह अपने परिवार की दैनिक आय में काफी अधिक वृद्धि कर पाई। 2009-12 के दौरान, उन्होंने एक

दुकान किराये पर लेने के लिए नया ऋण लिया, जहाँ उन्होंने सब्जियों के साथ अन्य दैनिक उपयोग वाली चीजें बेचनी शुरू की। इसके बाद उन्होंने चलती-फिरती किराना दुकान

खोलने के लिए एक सेकेंड-हैंड ऑटो-रिक्शा खरीदा। व्यवस्थित तरीके से काम करने से कुन्तीबाई की महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिला, इसके साथ उन्होंने बड़े पैमाने पर चाय की पैकेजिंग और मोमबत्ती बनाने का एक नया व्यवसाय शुरू किया। यहाँ उन्होंने दैनिक खेतन पर 7 महिलाओं को नौकरी पर रखा। अपने उत्पादों की डिस्ट्रिब्यूटर्स का विस्तार करने के लिए, उन्होंने एक मारुति ओमनी वैन खरीदने के लिए एक और ऋण लिया। इसके बाद 2015 में, कुन्तीबाई ने अपने घर पर बोरवेल कनेक्शन और

शौचालय की सुविधा के लिए भी ऋण लिया। बकाया ऋण राशि के समय पर पुनः भुगतान के साथ धीमी भंग व्यवस्थित प्रगति ने उन्हें अधिक राशि के ऋण का पात्र बना दिया और इससे उनकी क्रेडिट रेटिंग भी अच्छी दिखने लगी।

ईएसएफ़ एसएफ़बी की मदद से वह सिलाई मशीनें खरीद सकीं और एक सेल्सी प्रसन्न सहित दैनिक खेतन के आधार पर सिलाई के लिए 4 महिलाओं को काम पर रख लिया। कुन्तीबाई मानती हैं कि ईएसएफ़ एसएफ़बी के इन सभी ऋणों के साथ, उनके परिवार की आय में काफी वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप उनकी आय उस स्तर तक पहुँच गई, जिससे कि वे ऐसे लोगों को रोजगार प्रदान करने में भी सक्षम हो गई, जो वित्तीय स्थिरता पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।



Microfinance Institutions Network (MFIN)

Coverage Report: ESAF SFB case study

Publication	Pioneer
Edition	Haryana
Date	19 th October, 2019
Page No.	05

हरियाणा के लोगों की जिंदगियां बदलने में मदद कर रहा है फिनकेयर एसएफबी

पायनियर समाचार सेवा | तिगांव

श्रीमती दिशा छोटे हरियाणा के एक छोटे से गांव तिगांव में रहती हैं। उनकी कहानी जीवन में गरीबी से उठकर अपने घर के साथ-साथ पूरे गांव में एक प्रतिष्ठित महिला बनने का सफर दिखाती है।

करीब तीन-चार वर्ष पहले तक दिशा के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। एक कुशल ब्यूटीशियन और सिलाई-कढ़ाई में एक अनुभवी टीचर होने के बावजूद पैसों की कमी के कारण, दिशा अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में कोई मदद नहीं कर पा रही थी। उनके पति की मामूली आमदनी पर का खर्च चलाने के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। उन्होंने अपनी सहोदरियों और रिश्तेदारों से भी आर्थिक मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था। इतने प्रकार की निराशा के बावजूद वो हार मानने

को राजी नहीं थी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के फैसले पर अडिग रही। इसी बीच वो अपने पड़ोस में कुछ महिलाओं के एक समूह से मिली जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक समूह बैठक यात्रा गुप मीटिंग के लिए अपने ग्राम को किशतें जमा करने आई थीं। वहां मौजूद फिनकेयर के ग्राम अधिकारी ने दिशा को बैंक के समूह ग्राम के बारे में बताया और साथ ही एक समूह की जिम्मेदारियों और सुविधा की जानकारी भी दी। ग्राम अधिकारी ने दिशा को बताया कि यह बैंक उनके जैसे परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में किस तरह से मदद कर सकती है। इस मुलाकात के बाद दिशा भी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्वयं सहायता समूह की सदस्य बन गई। शुरुआत में उन्होंने ग्राम 20,000 का ग्राम लिया, जिससे सिलाई मशीन और ब्यूटी पार्लर के

लिए कुछ सामान खरीदा। इससे उन्हें ग्राम 8000 प्रति महीने की कमाई होने लगी। खुद से कमा सकने की अपनी क्षमता देखकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। इसलिए अपना पिछला ग्राम चुकाने के बाद उन्होंने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक से ग्राम 30,000 का एक दूसरा ग्राम लिया, जिससे उन्होंने चार सिलाई मशीन और खरीद लीं। इसके बाद वो आसपास की महिलाओं को सिलाई का काम सिखाने लगीं।

अपने सतत प्रयासों के चलते उनके परिवार की मासिक आमदनी बढ़कर ग्राम 25,000 से 26000 हो गई जो कि उनकी पहले की आर्थिक हालत से काफी बेहतर थी। अब दिशा अपने समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत कर रही हैं और अपने बच्चों को निजी स्कूल में भी पढ़ा रही हैं। जीवन में इस बदलाव के लिए वो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का आभार मानती हैं।

Publication	Hindustan Express
Edition	Faridabad
Date	20 th October, 2019
Page No.	06

लोगों की जिंदगियां बदलने में मदद कर रहा है फिनकेयर एसएफबी

फरीदाबाद। अिले के गांव शिपुव में वाली श्रीमती दिशा सोहं की कहानी जीवन में गरीबी से उठकर अपने घर के साथ-साथ पूरे गांव में एक प्रतिष्ठित महिला बनने का सपना दिशावादी है। करीब 3-4 वर्ष पहले तक दिशा के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। एक कुशल व्यक्ति और मित्र-कन्या में एक अनुपम टीचर होने के बावजूद पैसा की कमी के कारण, दिशा अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में कोई मदद नहीं कर पा रही थी। उनके पति की मरुती आमदनी घर का खर्च चलाने के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। उन्होंने अपनी सहिलियों और रिश्तेदारों से भी आर्थिक मदद मांगने की कोशिश की लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था। हर प्रकार की निराशा के बावजूद वो हार मानने की नहीं थी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की



fincare
Small Finance Bank

आर्थिक हालत सुधारने के फैसले पर आदिग रही। इसी बीच वो अपने पड़ोस में कुछ महिलाओं के एक समूह से मिली जहाँ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक समूह बैठक थी। इस बैठक के लिए अपने ज्ञान की किरणें उमगा करने आई थीं। वहाँ मौजूद फिनकेयर की ज्ञान अधिकारी ने दिशा को बैंक के समूह ज्ञान के बारे में बताया और साथ ही एक समूह की जिम्मेदारियों और सुविधा की

जानकारी भी दी। ज्ञान अधिकारी ने दिशा को बताया कि वह बैंक उनके जैसे परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में किस तरह से मदद कर सकती है। इस मुलाकात के बाद दिशा भी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्वयं सहायता समूह की सदस्य बन गईं। शुरुआत में उन्होंने 20,000 रु जमा किए, जिससे सिलाई मशीन और ब्यूटी पार्सर के लिए कुछ खर्चा खरीदा। इससे उन्हें रु 8000 प्रति

महीने की कमाई होने लगी। खुद से काम करने की अपनी क्षमता देखकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। इसलिए अपनी पिछला ज्ञान चुकाने के बाद उन्होंने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक से रु 30,000 का एक दूसरा ऋण लिया जिससे उन्होंने 4 सिलाई मशीन और खरीद लीं। इसके बाद वो आसपास की महिलाओं को सलाह का काम सिखाने लगीं। अपने सफल प्रयासों के चलते उनके परिवार की मासिक आयदनी बढ़कर रु 25,000 रु 26,000 हो गई जो कि उनकी पहले की आर्थिक हालत से काफी बेहतर थी। अब दिशा अपने समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत कर रही हैं और अपने बच्चों को निजी स्कूल में भी पढ़ा रही हैं। जीवन में इस बदलाव के लिए वो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का आधार मानती हैं, जिसने नुक़्कत के वक़्त पर उनकी जैसी कई सारी महिलाओं का साथ दिया है।

Publication	Virat Vaibhav
Edition	Delhi NCR
Date	20 th October, 2019
Page No.	10

लोगों की जिंदगियां बदलने में मदद कर रहा है फिनकेयर एसएफबी

वैभव न्यूज ३६ घंटी खतरा



जिले के गांव तिगांव में खाली ब्रीमती दिशा घोड़े की कहानी जीवन में गरीबी से उठकर अपने घर के साथ-साथ पूरे गांव में एक प्रतिष्ठित महिला बनने का सफर दिखाती है। करीब 3-4 वर्ष पहले तक दिशा के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। एक कुशल म्यूटिशियन और सिलाई-कढ़ाई में एक अनुभवी टीयर होने के बावजूद पैसे की कमी के कारण, दिशा अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में कोई मदद नहीं कर पा रही थी। उनके पति की मामूली आमदनी घर का खर्च चलाने के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। उन्होंने अपनी सहिलियों और रिश्तेदारों से भी आर्थिक मदद मांगने की कोशिश की लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था। हर प्रकार की निराशा के बावजूद वो हार मानने को राजी नहीं थी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के फैसले पर अडिग रही। इसी बीच वो अपने पड़ोस में कुछ महिलाओं के एक समूह से मिली जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक समूह बैठक यानि ग्रुप मीटिंग के लिए अपने ग्रुप की किरतें जमा करने आई थीं। वहां मौजूद फिनकेयर के ग्रुप अधिकारी ने दिशा को बैंक के समूह ग्रुप के बारे में बताया और साथ ही एक समूह की जिम्मेदारियों और सुविधा की

जानकारी भी दी। ग्रुप अधिकारी ने दिशा को बताया कि यह बैंक उनके जैसे परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में किस तरह से मदद कर सकती है। इस मुलाकात के बाद दिशा भी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्वयं सहायता समूह की सदस्य बन गई। शुरुआत में उन्होंने 20,000 का ऋण लिया, जिससे सिलाई मशीन और म्यूटी पालर के लिए कुछ सामान खरीदा। इससे उन्हें ₹ 8000 प्रति महीने की कमाई होने लगी। खुद से कमा सकने को अपनी खमता देखकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। इसलिए अपना पिछला ग्रुप चुकाने के बाद उन्होंने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक से ₹ 30,000 का एक दूसरा ऋण लिया जिससे उन्होंने 4 सिलाई मशीन और खरीद ली।

इसके बाद वो आसपास की महिलाओं को सिलाई का काम सिखाने लगी। अपने सतत प्रयत्नों के चलते उनके परिवार की मासिक आमदनी बढ़कर ₹ 25,000 से 26000 हो गई जो कि उनकी पहले की आर्थिक हालत से काफी बेहतर थी। अब दिशा अपने समूह में एक प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत कर रही हैं और अपने बच्चों को निजी स्कूल में भी पढ़ा रही हैं।

Publication	Uday Bhaskar
Edition	Faridabad
Date	20 th October, 2019
Page No.	08

लोगों की जिंदगियां बदलने में मदद कर रहा है फिनकेयर एसएफबी



उदय भास्कर/संवाददाता

फरीदाबाद। जिले के गांव तिगांव में वाली श्रीमती दिशा चोडे की कहानी जीवन में गरीबी से उठकर अपने घर के साथ-साथ पूरे गांव में एक प्रतिष्ठित महिला बनने का सफर दिखाती है। करीब 3-4 वर्ष पहले तक दिशा के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। एक कुशल व्युटिशियन और सिलाई-कढ़ाई में एक अनुभवी टीचर होने के बावजूद पैसे की कमी के कारण, दिशा अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में कोई मदद नहीं कर पा रही थी। उनके पति की मामूली आमदनी घर का खर्च चलाने के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। उन्होंने अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से भी आर्थिक मदद मांगने की कोशिश की लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था। हर प्रकार की निराशा के बावजूद वो हार मानने को राजी नहीं थी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के फैसले पर अडिग रही। इसी बीच वो अपने पड़ोस में कुछ महिलाओं के एक समूह से मिली जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक समूह बैठक यानि ग्रुप मीटिंग के लिए अपने ग्रुप की किशतें जमा करने आई थीं। वहां मौजूद फिनकेयर के ग्रुप अधिकारी ने दिशा को बैंक के समूह ग्रुप के बारे में बताया और साथ ही एक समूह की

जिम्मेदारियों और सुविधा की जानकारी भी दी। ग्रुप अधिकारी ने दिशा को बताया कि यह बैंक उनके जैसे परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में किस तरह से मदद कर सकती है। इस मुलाकात के बाद दिशा भी फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्वयं सहायता समूह की सदस्य बन गईं। शुरुआत में उन्होंने 20,000 का ग्रुप लिया, जिससे सिलाई मशीन और बूटी पालर के लिए कुछ सामान खरीदा। इससे उन्हें ₹ 8000 प्रति महीने की कमाई होने लगी। खुद से कमा सकने की अपनी क्षमता देखकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। इसलिए अपना पिछला ग्रुप चुकाने के बाद उन्होंने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक से ₹ 30,000 का एक दूसरा ग्रुप लिया जिससे उन्होंने 4 सिलाई मशीन और खरीद ली। इसके बाद वो आसपास की महिलाओं को सिलाई का काम सिखाने लगी। अपने सतत प्रयासों के चलते उनके परिवार की मासिक आमदनी बढ़कर ₹ 25,000 व 26000 हो गई जो कि उनकी पहले की आर्थिक हालत से काफी बेहतर थी। अब दिशा अपने समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन अर्जित कर रही हैं और अपने बच्चों को निजी स्कूल में भी पढ़ा रही हैं। जीवन में इस बदलाव के लिए वो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का आभार मानती हैं, जिसने जरूरत के वक्त पर उनकी जैसी कई सारी महिलाओं का साथ दिया है।

Publication	Action India
Edition	Haryana
Date	20 th October, 2019
Page No.	03

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में फिनकेयर मददगार

फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत जून 2017 में हुई थी, जो पहले दिशा माइक्रोफिन लिमिटेड नामक एनबीएफसी-एमएफआई कंपनी के रूप में जानी जाती थी। दिशा माइक्रोफिन सितंबर 2015 में आरबीआई से इन प्रिंसिपल स्वीकृति प्राप्त करने वाली 10 कंपनियों में से एक थी। यह अनुमति देश में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने के लिए दी जाती है। दिशा छोटे हरियाणा के एक छोटे से गांव तिगांव में रहती हैं। करीब 3-4 वर्ष पहले तक दिशा के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। एक कुशल ब्यूटिशियन और सिलाई-

निलंबन रह

ऋण अधिकारी ने दिशा को बताया कि बैंक उनके जैसे परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में किस तरह से मदद कर सकती है

कढ़ाई में एक अनुभवी टीचर होने के बावजूद पैसे की कमी के कारण, दिशा अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में कोई मदद नहीं कर पा रही थी। उनके पति की मामूली आमदनी घर का खर्च चलाने के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के फैसले पर अडिग रही। इसी बीच वो अपने पड़ोस में कुछ महिलाओं

के एक समूह से मिली जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक समूह बैठक यानि ग्रुप मीटिंग के लिए अपने ऋण की किश्तें जमा करने आई थीं। वहां मौजूद फिनकेयर के ऋण अधिकारी ने दिशा को बैंक के समूह ऋण के बारे में बताया और साथ ही एक समूह की जिम्मेदारियों और सुविधा की जानकारी भी दी। ऋण अधिकारी ने दिशा को बताया कि यह बैंक उनके जैसे परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में किस तरह से मदद कर सकती है। शुरुआत में उन्होंने रु 20,000 का ऋण लिया जिससे सिलाई मशीन और ब्यूटी पार्लर के लिए कुछ सामान खरीदा। इससे उन्हें रु 8000 प्रति महीने की कमाई होने लगी।

Publication	Global Today
Edition	Tigaon
Date	20 th October, 2019
Page No.	06

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार फिनकेयर

तिगांव। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत जून 2017 में हुई थी, जो पहले दिशा माइक्रोफिन लिमिटेड नामक एनबीएफसी-एमएफआई कंपनी के रूप में जानी जाती थी। दिशा माइक्रोफिन सितंबर 2015 में आरबीआई से इन प्रिंसिपल स्वीकृति प्राप्त करने वाली 10 कंपनियों में से एक थी। यह अनुमति देश में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने के लिए दी जाती है। श्रीमती दिशा घोडे हरियाणा के एक छोटे से गांव तिगांव में रहती हैं। करीब 3-4 वर्ष पहले तक दिशा के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। एक कुशल व्युटिशियन और सिलाई-कढ़ाई में एक अनुभवी टीचर होने के बावजूद पैसों की कमी के कारण, दिशा अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में कोई मदद नहीं कर पा रही थी। उनके पति की मामूली आमदनी घर का खर्च चलाने के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के फैसले पर अडिग रही। इसी बीच वो अपने पड़ोस में कुछ महिलाओं के एक समूह से मिलीं जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक समूह बैठक यानि

ग्रुप मीटिंग के लिए अपने ग्रह को किराते जमा करने आई थीं। वहां मौजूद फिनकेयर के ग्रुप अधिकारी ने दिशा को बैंक के समूह ग्रह के बारे में बताया और साथ ही एक समूह की जिम्मेदारियों और सुविधा की जानकारी भी दी। ग्रुप अधिकारी ने दिशा को बताया कि यह बैंक उनके जैसे परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में किस तरह से मदद कर सकती है। शुरुआत में उन्होंने रु 20,000 का ग्रुप लिया जिससे सिलाई मशीन और ब्यूटी पार्लर के लिए कुछ सामान खरीदा। इससे उन्हें रु 8000 प्रति महीने की कमाई होने लगी। खुद से कमा सकने की अपनी क्षमता देखकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। इसलिए अपना पिछला ग्रुप चुकाने के बाद उन्होंने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक से रु 30,000 का एक दूसरा ग्रुप लिया, जिससे उन्होंने 4 सिलाई मशीन और खरीद ली। इसके बाद वो आसपास की महिलाओं को सिलाई का काम सिखाने लगीं। अपने सतत प्रयासों के चलते उनके परिवार की मासिक आमदनी बढ़कर रु 25,000-26,000 हो गई जो कि उनकी पहले की आर्थिक हालत से काफी बेहतर थी। जीवन में इस बदलाव के लिए वो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का आभार मानती हैं, जिसने ज़रूरत के वक़्त पर उनकी जैसी कई सारी महिलाओं का साथ दिया है।

Publication	Satyajai Times
Edition	Haryana
Date	19 th October, 2019
Page No.	05

हरियाणाके लोगों की जिंदगियां बदलने में मदद कर रहा है फिनकेयर एसएफबी

त्रिगंघ, 18 अक्टूबर, सायबज टाइम्स। हरियाणा के एक छोटे से गांव त्रिगंघ में रहती हैं। उनकी कहानी जीवनमें गरीबी से उठकर अपने घर के साथ-साथ पूरे गांव में एक प्रगतिशील महिला बनने का सफर दिखाती है। करीब 3-4 वर्ष पहले तक देश के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। एक कुजाल अटलियाज और सिलाई-कढ़ाई में एक अनुभवी टीचर होने के बावजूद पैसों की कमी के कारण, देश अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में कोई मदद नहीं कर पा रही थी। उनके पति की मामूली अवसर्था पर कर खर्च चलने के लिए पूरी गरीब रहती थी। उन्होंने अपनी सहेलिया और रिश्तेदारों से भी आर्थिक मदद मांगने की कोशिश की लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने को तैयार नहीं था। हर प्रकार की निराशा के बावजूद

वो हार मानने को राजी नहीं थी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के फैसले पर अडिग रही। इसी बीच वो अपने पड़ोस में कुछ महिलाओं के एक समूह से मिली जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक समूह बैठक खनि दुप सीटिंग के लिए अपने ग्राम की किराई जमा करने आई थी। यहाँ मौजूद फिनकेयर के ग्राम अधिकारी ने देश को बैंक के समूह ग्राहक के बारे में बताया और साथ ही एक समूह की जिम्मेदारियों और सुविधा की जानकारी भी दी। ग्राम अधिकारी ने देश को बताया कि वह बैंक उनके जैसे परिवारों की आर्थिकस्थिति सुधारने में किस तरह से मदद कर सकती है। इस मुलाकात के बाद देश ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहायता समूह में शामिल हो कर अपने

जीवन बदलने में अपनी भूमिका निभाई। शुरूआत में उन्होंने 20000 का ग्राम लिया जिससे सिलाई मशीन और जूटी पालर के लिए कुलसामान खरीदा। इससे उन्हें रूप 8000 प्रति माह की कमाई होने लगी। खुद से कामकाज को अपनी सफल देखकर उनका आत्म विश्वास भी बढ़ गया। इसलिए अपना रिक्ता ग्राम चुकाने के बाद उन्होंने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक से रु 30000 का एक दूसरा ग्राम लिया जिससे उन्होंने 4 सिलाई मशीन और खरीद ली। इसके बाद वोअसहाय की महिलाओं को सिलाई का काम सिखाते लगी। अपने सफल प्रयासों के चलते उनके परिवार की मासिक आमदनी बढ़कर रूप 25000 रु 26000 हो गई जो किउनकी पहले की आर्थिक हालत से काफी बेहतर थी। अब देश अपने समाज में एकप्रगतिशील जीवन जीती कर रही हैं और अपने

बच्चों को किसी स्कूल में भी पढ़ाती हैं। जीवन में इस बदलाव के लिए वो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का आधार बनती हैं जिसने जाकरत के वक्त पर उनकी जैसे कई सारी महिलाओं का साथ दिया है। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरूआत जून 2017 में हुई थी जो पहले दिसा माइक्रोफिन लिमिटेड नामक एनबीएफसी, एमएफआई कंपनी के रूप में जानी जाती थी। दिसा माइक्रोफिन मार्च 2015 में भारतीय राज्य से इन प्रगतिशील स्वीकृत प्राप्त करने वाली 10 कंपनियों में से एक थी। वह अनुमति देश में वित्तीय सम्बन्धन को अपने बढ़ाने के लिए चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने के लिए दी जाती है। भारतीय माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ने एक लंबा सफर तय किया है।

शुरूआती अनुभवों के अनुसार मार्च 2019 के अंत तक इस उद्योग सेक्टर ने 1 लाख से अधिक कंपनियों की मदद से 30 राज्यों में 50 मिलियन से अधिक ग्राहकों, जिनमें से 99% से अधिक महिलाएं हैं और अधिकांश के लिए वह उनके जीवन में पहली क्रेडिट सुविधा रही तक पहुंच कर लगभग 2000000 करोड़ रुपये के क्रेडिट पोर्टफोलियो के स्तर को छुआ है। 2011 के मय में आंध्र प्रदेश, एपीडी संघ के बाद जो उद्योग लगभग खत्म हो चुका था उसके लिए वह एक बड़ी उपलब्धि है। देश का एकमात्र विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थान है जो जो कम आय वाले परिवारों को असुरक्षित ऋणप्रदान करता है। वे संस्थाएँ उन महिलाओं के लिए कार्य की अनुपलब्धता को खास करती हैं जिनके पास ग्राम के बदले

में निरखी रखने के लिए कुछ ची नहीं है का उद्देश्य स्थानी आर्थिक निर्माण करना है। दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में शाहकों को सभी प्रकार की वित्तीय सेवाएँ प्रदान करते हुए वे संस्थान सरकार के वित्तीय सम्बन्धन को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का एक महत्वपूर्ण भागीदार है और इस कार्यक्रम के तहत वितरित ऋणका लगभग 50% माइक्रोफाइनेंस कंपनियों के माध्यम से किया गया है। एनबीएफसी, एमएफआई भारतीय रिजर्व बैंक के तहत पंजीकृत हैं और ग्राम केअकार से लेकर ग्राम की आर्थिक विकास को पर तक बेहद सफल के साथ विनिर्दिष्ट होते हैं। साथ ही फेयर प्रैक्टिस कोड, एनबीएफआई और इंडस्ट्री कोड ऑन कंस्ट्रक्ट, सीजेसीडी इनके कामकाज को निर्धारित करते हैं। रिजर्व बैंक सभी की विनिर्दिष्टकरणों करता है।

Publication	Sher E Haryana
Edition	Faridabad
Date	19 th October, 2019
Page No.	04

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मददगार फिनकेयर

तिगांव : फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की शुरुआत जून 2017 में हुई थी, जो पहले दिशा माइक्रोफिन लिमिटेड नामक एनबीएफ सी-एमएफ आई कंपनी के रूप में जानी जाती थी। दिशा माइक्रोफिन सितंबर 2015 में आरबीआई से इन प्रिंसिपल स्वीकृति प्राप्त करने वाली 10 कंपनियों में से एक थी। यह अनुमति देश में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को स्मॉल फाइनेंस बैंक शुरू करने के लिए दी जाती है। श्रीमती दिशा घोड़े हरियाणा के एक छोटे से गांव तिगांव में रहती हैं। करीब 3-4 वर्ष पहले तक दिशा के परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी नहीं थी। एक कुशल ब्यूटिशियन और सिलाई-कढ़ाई में एक अनुभवी टीचर होने के बावजूद पैसों की कमी के कारण, दिशा अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने में

कोई मदद नहीं कर पा रही थी। उनके पति की मामूली आमदनी घर का खर्च चलाने के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के फैसले पर अडिग रही। इसी बीच वो अपने पड़ोस में कुछ महिलाओं के एक समूह से मिली जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की एक समूह बैठक यानी ग्रुप मीटिंग के लिए अपने ऋण की किश्तें जमा करने आई थीं। वहां मौजूद फिनकेयर के ऋण अधिकारी ने दिशा को बैंक के समूह ऋण के बारे में बताया और साथ ही एक समूह की जिम्मेदारियों और सुविधा की जानकारी भी दी। ऋण अधिकारी ने दिशा को बताया कि यह बैंक उनके जैसे परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में किस तरह से मदद कर सकती है। शुरुआत में उन्होंने ₹ 20,000

का ऋण लिया जिससे सिलाई मशीन और ब्यूटी पार्लर के लिए कुछ सामान खरीदा। इससे उन्हें ₹ 8000 प्रति महीने की कमाई होने लगी। खुद से कमा सकने की अपनी क्षमता देखकर उनका आत्मविश्वास भी बढ़ गया। इसलिए अपना पिछला ऋण चुकाने के बाद उन्होंने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक से ₹ 30,000 का एक दूसरा ऋण लिया, जिससे उन्होंने 4 सिलाई मशीन और खरीद ली। इसके बाद वो आसपास की महिलाओं को सिलाई का काम सिखाने लगी। अपने सतत प्रयासों के चलते उनके परिवार की मासिक आमदनी बढ़कर ₹ 25,000 -26,000 हो गई जो कि उनकी पहले की आर्थिक हालत से काफी बेहतर थी। जीवन में इस बदलाव के लिए वो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का आभार मानती हैं, जिसने ज़रूरत के वक्त पर उनकी जैसी कई सारी महिलाओं का साथ दिया है।



Microfinance Institutions Network (MFIN)

Coverage Report: Jana Small Finance Case Study

Publication	Action India
Edition	Haryana
Date	19 th October, 2019
Page No.	09

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में कर रहा है मदद

यमुना नगर/एक्शन इंडिया ब्यूरो
यह कहानी हरियाणा के छोटे से शहर यमुना नगर की रहने वाली, नरेश कुमारी के धैर्य और दृढ़ संकल्प की है, जिन्होंने अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकालकर अच्छी आर्थिक स्थिति तक पहुंचा दिया है। नरेश के पति मामूली से वेतन पर एक कैटीन में काम करते थे। वे 5 लोगों के परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और बड़ी मुश्किल से परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाते थे। अपनी शादी के एक साल बाद, नरेश ने जुड़वा बच्चों (एक लड़का और एक लड़की) को जन्म दिया। खुशी के इस क्षण में भी इस दंपति को पैसों की कमी के चलते अपने जुड़वा बच्चों की परवरिश की चिंता सताती रहती थी। जैसा कि कहा जाता है, मुश्किलें एक साथ आती हैं। नरेश के बेटे

को बीमार होने के कारण एक महीने के लिए अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। शारी-भरकम इलाज खर्च के चलते इस दंपति को एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। नरेश के पति ने जब अपनी कैटीन के मालिक से अस्पताल का बिल चुकाने के लिए कर्ज मांगा तो उसने भी मना कर दिया। हालांकि, सौभाग्य से इनके पास ऐसे दोस्त थे जिन्होंने अस्पताल का बिल चुकाने में मदद की। नरेश के बेटे के ठीक हो जाने के बाद उसके पति ने 6,000 रुपये मासिक वेतन पर ड्राइवर की नौकरी करनी शुरू कर दी लेकिन इतने में भी पूरे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। परिवार को आमदनी के वैकल्पिक स्रोत की तुरंत जरूरत होने के कारण नरेश ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया।

Publication	Yugmarg
Edition	Haryana
Date	19 th October, 2019
Page No.	03

Jana Bank is helping women to become self-reliant

YAMUNA NAGAR: The article is about the patience and determination of Naresh Kumari, a resident of Yamuna Nagar, a small town in Haryana, who has taken her family out of the morass of poverty to a good economic condition. Naresh's husband used to work in a canteen on a nominal salary. He was the only earning member in a family of 5 and could barely meet the needs of the family. A year after his marriage, Naresh gave birth to twins (a boy and a girl). Even in this moment of happiness, this couple used to worry about raising their twin children due to lack of money. As the saying goes, the difficulties come together - Naresh's son had to be admitted to the ICU in hospital for a month due to illness. The couple had to go through a difficult phase due to heavy medical expenses. Naresh's husband refused when the owner of his canteen demanded a loan to pay the hospital bill. However, fortunately they had friends who helped pay the hospital bill. After Naresh's son was cured, her husband started working as a driver at a monthly salary of Rs 6,000, but even then it was difficult to manage the expenses of the whole family. But now things are fine as she managed to pay back her loan through Jana SFB .

Publication	Haryana Mail
Edition	Haryana
Date	19 th October, 2019
Page No.	03

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में कर रहा है मदद

हरियाणा मेल ब्यूरो » पंटीगढ़

पंटीगढ़-नगर: यह कहानी हरियाणा के छोटे से शहर पंटीगढ़ नगर की रहने वाली, नरेश कुमारी के साथ और कुछ संकल्प की है, जिसने अपने परिवार को गरीबी के दण्डाल से निष्कलंक कर अच्छे आर्थिक स्थिति तक पहुँचा दिया है। नरेश के पति मधुसूदन से बेतला पर एक फैटरी में काम करते थे। वे 5 लड़कों के परिवार में एकमात्र बचपने वाली सदस्य थे और बड़ी मुश्किल से परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाते थे। अपनी शादी के एक साल बाद, नरेश ने जुड़वा बच्चों (एक लड़का और एक लड़की) को जन्म दिया। सुखी के इस क्षण में भी इस दंपति को पैसी की कमी के सिले अपने जुड़वा बच्चों की परवाश की चिंता सताती रहती थी।

जैसा कि कहा जाता है, मुश्किलें एक साथ आती हैं। नरेश के बेटे को बीमार होने के कारण एक महीने के लिए अस्पताल के आईसिवू में भर्ती कराया गया। भरी-भरकर इलाज खर्च के चलते इस दंपति को एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा। नरेश के पति

ने पास जलती फैटरी के मालिक से अस्पताल का बिल चुकाने के लिए कर्ज माँग ले उसने भी मना कर दिया। हालाँकि, सौभाग्य से इनके पास ऐसे दोस्त थे जिसने अस्पताल का बिल चुकाने में मदद की। नरेश के बेटे के ठीक हो जाने के बाद उसका पति ने 6,000 रुपये मसिवा पैशन पर इस्कर की पैकरी करवी शुरू कर दी। लेकिन इतने में भी पूरे परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था।

परिवार की अकम्बली के वैकल्पिक स्रोत की तलाश करना होने के कारण नरेश ने अधिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का निरासा किया। लगभग उसी समय, उन्हें जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पता चला। जहाँ से उन्हें 15,000 रुपये का पाला समूह भत्ता मिला। इन पैसों से उन्होंने अपने घर पर एक छोटी बिस्मना दुकान शुरू की। नरेश के इस कदम का उसका परिवार ने बड़ा विरोध किया लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ी रही। यह तब कि उनकी पत्नी की दुकान से कानूनी प्रशिक्षण का सम्भव भी करना पड़ लेकिन फिर भी वो बचती नहीं। नरेश ने प कैबल अपने खर्च का भुलान किया, बलिक बना

एमएफ की से 25,000 रुपये के एक और ऋण के लिए आवेदन किया। व्यवसायिक गुरु गोखले हुए उन्होंने अपने दूसरे खर्च से अपने दुकान के लिए ऐसे उपकरण खरीदे जिनकी उस इलाके में काफी माँग थी। इससे नरेश की अकम्बली में जबरन बृद्धि हुई। अपने व्यवसाय को अच्छे तरह से संभालने के साथ नरेश अब अपने बच्चों की शिक्षा पर भी खर्च कर पा रही है। उनके लक्ष्य है कि विदेश के सिले अब उनकी यात्रा 75,000 रुपये के बड़े बहिरागत खर्च को कम गई थी, जिसका इलाज उन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने में किया। अपने प्रयासों और कष्ट एमएफ की को मदद के जरिये, नरेश कुमारी और उनका परिवार अब एक खुशहाल जीवन जी रहा है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहले जलजलभी फाइनैशियल सर्विस (जेएफएस) के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय मैंगलूर में है और यह पिछले एक दशक से अधिक समय से संभाला किया जा रहा है। यह उन 10 विनीय संस्थानों में से एक है, जिसे 2015 में आरबीआई से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई थी।

स्मॉल फाइनेंस बैंक ने 2018 को बैंकिंग परिचालन शुरू किया

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप्रैल 2017 में पंटीगढ़ बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया और 28 मार्च, 2018 को बैंकिंग परिचालन शुरू किया। फरमान में, यह बैंक भारत के 20 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 3.6 प्रीमियम ब्रांचों को सेवा प्रदान कर रहा है। इसका लक्ष्य देखी से बढ़ते भारत के सभी ब्रांच जनों और समुदायों को सेवा देने का है। अपनी उपस्थिति बैंकिंग बैंक बनना है। भारतीय मध्यम-कम-सेक्टर से एक लंबा समय तक किया है। हुडको की अनुमति के अनुसार मार्च 2018 के अंत तक इस उद्योग सेक्टर में 1 लाख से अधिक वनपेसिबल की मदद से 30 राज्यों में 50 निष्पक्ष से अधिक ब्रांचों (जिसमें से 80 से अधिक महिलाएँ हैं) और अधिकांश के लिए यह उद्योग जीवन में पहली बैंकिंग सुविधा थी। लक्ष्य प्राप्त कर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपये के बैंकिंग पोर्टफोलियो के साथ जो जुड़ा है। 2011 के मध्य में अद्य प्रवेश (एपी) सेक्टर के बाव जे उद्योग लगभग सात हो चुका था, उसी लिए यह एक बड़ी उपस्थिति है।

Publication	City Media
Edition	Yamunanagar
Date	19 th October, 2019
Page No.	02

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में कर रहा है मदद

यमुनानगर, (सिटी मीडिया) 18 अक्टूबर। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहले जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विस (जेएफएस) के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और यह पिछले एक दशक से अधिक समय से संचालित किया जा रहा है। यह उन 10 वित्तीय संस्थानों में से एक है, जिसे 2015 में आरबीआई से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई थी।

यह कहानी हरियाणा के छोटे से शहर यमुना नगर की रहने वाली, नरेश कुमारी के धैर्य और दृढ़ संकल्प की है, जिन्होंने अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकालकर अच्छी आर्थिक स्थिति तक पहुंचा दिया है। नरेश के पति मामूली से बेतन पर एक कैटीन में काम करते थे। वे 5 लोगों के परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और बड़ी मुश्किल से परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाते थे। परिवार को आमदनी के वैकल्पिक स्रोत

की तुरंत जरूरत होने के कारण नरेश ने अधिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। लगभग उसी समय, उन्हें जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पता चला। जहाँ से उन्हें 15,000 रुपये का पहला समूह ऋण मिला। इन पैसों से उन्होंने अपने घर पर एक छोटी किराना दुकान शुरू की। नरेश के इस कदम का उसके परिवार ने बड़ा विरोध किया लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ी रहीं। नरेश ने न केवल अपने ऋण का भुगतान किया, बल्कि जना एसएफ बी से 25,000 रुपये के एक और ऋण के लिए आवेदन किया। व्यवसायिक गुरु सीखते हुए उन्होंने अपने दूसरे ऋण से अपनी दुकान के लिए ऐसे उत्पाद खरीदे जिनकी उस इलाके में काफी मांग थी। इससे नरेश की आमदनी में जबर्दस्त वृद्धि हुई। अपने प्रयासों और जना एसएफबी की मदद के जरिये, नरेश कुमारी और उनका परिवार अब एक खुशहाल जीवन जी रहा है।

Publication	Atal Hind
Edition	Yamunanagr
Date	19 th October, 2019
Page No.	03

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में कर रहा है मदद

यमुनानगर। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहले जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेस (जेएफएस) के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और यह पिछले एक दशक से अधिक समय से संचालित किया जा रहा है। यह उन 10 वित्तीय संस्थानों में से एक है, जिसे 2015 में आरबीआई से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई थी। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप्रैल 2017 में फाइनेल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया और 28 मार्च, 2018 को बैंकिंग परिचालन शुरू किया। वर्तमान में, यह बैंक भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.6 मिलियन ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है। इसका लक्ष्य तेजी से बढ़ते भारत के सभी ग्राहक वर्गों और

समुदायों को सेवाएं देने वाला अग्रणी समावेशी डिजिटल बैंक बनना है। यह कहानी हरियाणा के छोटे से शहर यमुना नगर की रहने वाली, नरेश कुमारी के धैर्य और दृढ़ संकल्प की है, जिन्होंने अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकालकर अच्छी आर्थिक स्थिति तक पहुंचा दिया है। नरेश के पति मामूली से वेतन पर एक कैंटीन में काम करते थे। वे 5 लोगों के परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और बड़ी मुश्किल से परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाते थे। परिवार को आमदनी के वैकल्पिक स्रोत की तुरंत ज़रूरत होने के कारण नरेश ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। लगभग उसी समय, उन्हें जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पता चला

जहाँ से उन्हें 15,000 रुपये का पहला समूह ऋण मिला। इन पैसों से उन्होंने अपने घर पर एक छोटी किराना दुकान शुरू की। नरेश के इस कदम का उसके परिवार ने बड़ा विरोध किया लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ी रहीं। नरेश ने न केवल अपने ऋण का भुगतान किया, बल्कि जना एसएफबी से 25,000 रुपये के एक और ऋण के लिए आवेदन किया। व्यावसायिक गुरु सीखते हुए उन्होंने अपने दूसरे ऋण से अपनी दुकान के लिए ऐसे उत्पाद खरीदे जिनकी उस इलाके में काफी मांग थी। इससे नरेश की आमदनी में जबर्दस्त वृद्धि हुई। अपने प्रयासों और जना एसएफबी की मदद के जरिये, नरेश कुमारी और उनका परिवार अब एक खुशहाल जीवन जी रहा है।

Publication	Ashwini Times
Edition	Yamunanagar
Date	19 th October, 2019
Page No.	04

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में कर रहा है मदद

यमुना नगर। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहले जनलक्ष्मी पहचानिष्ठ सर्विसेस (जेएफएस) के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय बैंगलुरु में है और यह पिछले एक दशक से अधिक समय से संचालित किया जा रहा है। यह उन 10 वितीय संस्थानों में से एक है, जिसे 2015 में आरबीआई से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई थी। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप्रैल 2017 में फाइनेल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया और 28 मार्च, 2018 को बैंकिंग परिचालन शुरू

किया। वर्तमान में, यह बैंक भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.6 मिलियन ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है। इसका लक्ष्य तेजी से बढ़ते भारत के सभी ग्राहक वर्गों और समुदायों को सेवाएं देने वाला अग्रणी समावेशी डिजिटल बैंक बनना है। यह कसानी शरियाणा के छोटे से शहर यमुना नगर की रहने वाली, नरेश कुमारी के धैर्य और दृढ़ संकल्प की है, जिन्होंने अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकालकर अच्छी आर्थिक स्थिति तक पहुंचा दिया है। नरेश के पति मामूली से वेतन पर एक

कैंटीन में काम करते थे। वे 5 लोगों के परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और बहुत मुश्किल से परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाते थे। परिवार की आमदनी के वैकल्पिक स्रोत की तुरंत जरूरत होने के कारण नरेश ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। लगभग उसी समय, उन्हें जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पता चला। जहाँ से उन्हें 15,000 रुपये का पहला समूह ऋण मिला। इन पैसों से उन्होंने अपने घर पर एक छोटी किराना दुकान शुरू की। नरेश के इस

कदम का उसके परिवार ने बड़ा विरोध किया लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ी रहीं। नरेश ने न केवल अपने ऋण का भुगतान किया, बल्कि जना एसएफबी से 25,000 रुपये के एक और ऋण के लिए आवेदन किया। जवाबदायिक शुरू सीखते हुए उन्होंने अपने दूसरे जहा से अपनी दुकान के लिए ऐसे उत्पाद खरीदे जिनकी उस इलाके में काफी मांग थी। इससे नरेश की आमदनी में जबरदस्त वृद्धि हुई। अपने प्रयासों और जना एसएफबी की मदद के जरिये, नरेश कुमारी और उनका परिवार अब एक खुशहाल

जीवन जी रहा है। भारतीय माइक्रोफाइनेंस सेक्टर ने एक लंबा सफर तय किया है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार मार्च 2019 के अंत तक इस उद्योगसेक्टर ने 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की मदद से 30 राज्यों में 50 मिलियन से अधिक ग्राहकों (जिनमें से 99 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं) और अधिकांश के लिए यह उनके जीवन में पहली क्रेडिट सुविधा रही। तक पहुंच कर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट पोर्टफोलियो के स्तर को छुआ है।

Publication	Satyajai Times
Edition	Haryana
Date	20 th October, 2019
Page No.	05

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में कर रहा है मदद

यमुनानगर, 19 अक्टूबर, सत्यजय टाइम्स। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहले जन लक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेस (जेएफएस) के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय बैंगलुरु में है और वह पिछले एक दशक से अधिक समय से संचालित किया जा रहा है। यह उन 10 वित्तीय संस्थानों में से एक है, जिसे 2015 में आरबीआई से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई थी। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप्रैल 2017 में फाइनेल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया और 28 मार्च, 2018 को बैंकिंग परिचालन शुरू किया। वर्तमान में, यह बैंक भारत के 20 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में 3.6 मिलियन ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है। इसका लक्ष्य तेजी से बढ़ते भारत के सभी ग्राहक वर्गों और समुदायों को सेवाएं देने वाला अग्रणी समावेशी डिजिटल बैंक बनना है।

यह कहानी हरियाणा के छोटे से शहर यमुना नगर की रहने वाली, नरेश कुमारी के धैर्य और दृढ़ संकल्प की है, जिन्होंने अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकालकर अच्छी आर्थिक स्थिति तक पहुंचा दिया है। नरेश के पति मामूली से वेतन पर एक कैटीन में काम करते थे। वे 5 लोगों के परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और बड़ी मुश्किल से परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाते थे। परिवार को आमदनी के वैकल्पिक स्रोत की तुरंत जरूरत होने के कारण नरेश ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। लगभग उसी समय, उन्हें जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पता चला जहाँ से उन्हें 15,000 रुपये का पहला समूह ऋण मिला। इन पैसों से उन्होंने अपने घर पर एक छोटी किराना दुकान शुरू की। नरेश के इस कदम का उसके परिवार ने बड़ा विरोध किया लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ी रहीं। नरेश ने न केवल अपने ऋण का भुगतान किया, बल्कि जना एसएफबी से 25,000 रुपये के एक और ऋण के लिए आवेदन किया। व्यावसायिक गुरु सीखते हुए उन्होंने अपने दूसरे ऋण से अपनी दुकान के लिए ऐसे उत्पाद खरीदे जिनकी उस इलाके में काफी मांग थी। इससे नरेश की आमदनी में जबरदस्त वृद्धि हुई। अपने प्रयासों और जना एसएफबी की मदद के जरिये, नरेश कुमारी और उनका परिवार अब एक खुशहाल जीवन जी रहा है। भारतीय माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ने एक लंबा सफर तय किया है। शुरूआती अनुमानों के अनुसार मार्च 2019 के अंत तक इस उद्योग सेक्टर ने 1 लाख से अधिक कर्मचारियों की मदद से 30 राज्यों में 50 मिलियन से अधिक ग्राहकों (जिनमें से 99 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं और अधिकांश के लिए यह उनके जीवन में पहली क्रेडिट सुविधा रही) तक पहुंच कर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट पोर्टफोलियो के स्तर को छुआ है।

Publication	Hadauti Adhikar
Edition	Haryana
Date	20 th October, 2019
Page No.	03

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में कर रहा मदद

अधिकार संचाददाता

यमुनानगर, 19 अक्टूबर। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहले जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विस (जेएफएस) के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय बंगलुरु में है और यह पिछले एक दशक से अधिक समय से संचालित किया जा रहा है। यह उन 10 वित्तीय संस्थानों में से एक है, जिसे 2015 में आरबीआई से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए सैद्धांतिक मंजूरी प्राप्त हुई थी। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अप्रैल 2017 में फाइनेल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया और 28 मार्च, 2018 को बैंकिंग परिचालन शुरू किया। वर्तमान में, यह बैंक भारत के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3.6 मिलियन ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है। इसका लक्ष्य तेजी से बढ़ते भारत के सभी ग्राहक वर्गों और समुदायों को सेवाएं देने वाला अग्रणी समावेशी डिजिटल बैंक बनना है।

यह कहानी हरियाणा के छोटे से शहर

यमुना नगर की रहने वाली, नरेश कुमारी के धैर्य और दृढ़ संकल्प की है, जिन्होंने अपने परिवार को गरीबी के दलदल से निकालकर अच्छे आर्थिक स्थिति तक पहुंचा दिया है। नरेश के पति मामूली से वेतन पर एक कैटीन में काम करते थे। वे 5 लोगों के परिवार में एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और बड़ी मुश्किल से परिवार की जरूरतों को पूरा कर पाते थे। परिवार को आमदनी के वैकल्पिक स्रोत की तुरंत जरूरत होने के कारण नरेश ने आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का फैसला किया। लगभग उसी समय, उन्हें जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में पता चला। जहाँ से उन्हें 15,000 रुपये का पहला समूह ऋण मिला। इन पैसे से उन्होंने अपने घर पर एक छोटी किंगना दुकान शुरू की। नरेश के इस कदम का उसके परिवार ने बड़ा विरोध किया लेकिन वो अपने फैसले पर अड़ी रहीं। नरेश ने न केवल अपने ऋण का भुगतान किया, बल्कि जना एसएफबी से

25,000 रुपये के एक और ऋण के लिए आवेदन किया। व्यावसायिक गुरु सीखते हुए उन्होंने अपने दूसरे ऋण से अपनी दुकान के लिए ऐसे उत्पाद खरीदे जिनकी उस इलाके में काफी मांग थी। इससे नरेश की आमदनी में जबर्दस्त वृद्धि हुई। अपने प्रयासों और जना एसएफबी की मदद के जरिये, नरेश कुमारी और उनका परिवार अब एक खुशहाल जीवन जी रहा है।

भारतीय माइक्रोफाइनेंस सेक्टर ने एक लंबा सफर तय किया है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार मार्च 2019 के अंत तक इस उद्योगसेक्टर ने 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को मदद से 30 राज्यों में 50 मिलियन से अधिक ग्राहकों (जिनमें से 99 प्रतिशत से अधिक महिलाएं हैं) और अधिकांश के लिए यह उनके जीवन में पहली क्रेडिट सुविधा रही। तक पहुंच कर लगभग 2,00,000 करोड़ रुपये के क्रेडिट पोर्टफोलियो के स्तर को छुआ है।



Microfinance Institutions Network (MFIN)

Coverage Report on RBI policy

Publication	The Economic Times
Edition	Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata, Pune
Date	05 th October, 2019
Page No.	6

Lending, Income Limits Up to Spur Micro Loans

Our Bureau

Kolkata: Reserve Bank of India has raised the micro loan limits to ensure higher flow of funds to the economically weaker sections as their role in the economy has grown over the years with the government's inclusive agenda.

In a twin-move, the regulator has raised the household income limit for availing micro loans while enhanced the lending limit to ₹1.25 lakh per eligible borrower from ₹1 lakh earlier.

"Taking into consideration the important role played by MFIs in delivering credit to those in the bottom of the economic pyramid and enable them to play their assigned role in a growing economy, it is proposed to revise these criteria," RBI said Friday.

The decisions would provide a shot in the arm to the country's microfinance sector as they could cater to a wider market now. The income and loan limits to classify an exposure as eligible asset were last revised in 2015.

RBI said borrowers with annual household income up to ₹1.25 lakh in rural areas would now be eligible to take micro loans while the threshold limit

was ₹1 lakh earlier. Similarly, the income limit has been raised to ₹2 lakh from ₹1.6 lakh for borrowers in urban and semi-urban pockets.

"This is a good move and reflects the change in household income since 2015," said Manoj Nambiar, chairperson at Microfinance Institutions Network, the sector lobby group and self-regulator. "This will also allow

clients to avail a higher loan amount from RBI regulated formal financial institutions," Nambiar said.

RBI will issue detailed guidelines in this matter shortly.

"We welcome the modifications made for NBFC-MFI lending norms, which is very positive for MFI sector," said Udaya Kumar Hebbar, managing director at CreditAccess Grameen, a Bengaluru-based NBFC-MFI.

Despite RBI's 110 bps repo rate cut before Friday's rate action, NBFC-MFIs have hold their lending rates as they complain that their borrowing cost did not go down since February.

Lending limit now stands at ₹1.25 lakh per borrower, while annual income limits are ₹1.25 lakh for rural and ₹2 lakh for urban areas

Publication	The Business Line
Edition	Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata, Bangalore
Date	05 th October, 2019
Page No.	05

RBI increases lending caps for micro-finance institutions

OUR BUREAU

Mumbai, October 4
With the aim to increase credit availability to lower income groups, the Reserve Bank on Friday, raised the lending caps for micro-finance institutions.

Household income limit

The household income limit for borrowers of NBFC-MFIs in rural areas will be hiked to ₹1.25 lakh from the current ₹1 lakh, while for urban and semi-

urban areas it will be increased to ₹2 lakh from the current ₹1.6 lakh.

The RBI has also announced raising the lending limit to every eligible borrower to ₹1.25 lakh from the current ₹1 lakh.

"Taking into consideration the important role played by MFIs in delivering credit to those in the bottom of the economic pyramid and to enable them play their assigned role in a growing economy, it is proposed to revise these criteria,"

The household income limit for borrowers of NBFC-MFIs in rural areas will be hiked to ₹1.25 lakh from the current ₹1 lakh

the RBI said in its Statement on Developmental and Regulatory Policies on Friday, adding that detailed guidelines would be issued soon.

The income and loan limits

to classify an exposure as eligible asset were last revised in 2015.

Micro-finance crisis

Following the micro-finance crisis in Andhra Pradesh in 2010, a sub-committee of the Central Board of the Reserve Bank, chaired by YH Malegam, was set up to study the issues in the sector.

Based on its recommendations, a separate category of NBFC-MFI was created with a

detailed regulatory framework in December 2016. Industry players welcomed the move, and said that it is in tandem with the rising income levels.

"This is a good move, reflecting the change in household income since 2015, and allows clients to avail a higher loan amount from RBI-regulated formal financial institutions."

Besides this change, it will be a win-win situation for the lender and the borrower by

providing more room to individual NBFC-MFIs to lend and allow more households access credit," said Manoj Nambiar, Chairperson, MFNI.

HP Singh, Chairman and Managing Director, Sam Creditcare Network, said: "This specially augers well for rural micro-finance because new borrowers, who could not come in the fold earlier due to lending limits and household income limits, will now be included."

Publication	The Business Standard
Edition	Kolkata
Date	05 th October, 2019
Page No.	06

Lending limits for NBFC-MFIs hiked

SHREEPAD SAHTE
Mumbai, 4 October

In support of improving the credit availability to the deep rural pockets, the Reserve Bank of India (RBI) eased lending-related restrictions for non-banking financial service-micro finance institutions (NBFC-MFIs).

The central bank increased the household income limit for NBFC-MFI borrowers from the existing ₹1 lakh to ₹1.25 lakh and from ₹1.6 lakh to ₹2 lakh for rural areas and for urban/semi-urban areas, respectively. Besides, per borrower lending limits for NBFC-MFI raised to ₹1.25 lakh from currently ₹1 lakh. The existing loan and income limits were last revised in 2015.

"...Micro finance institutions play an important role in delivering credit to those in the bottom of the economic pyramid. These measures are expected to boost MFI lending to the bottom of the eco-

nomic pyramid," RBI Governor Shaktikanta Das said.

According to the RBI data, there are 95 NBFC-MFIs as of August 2019. According to the Micrometer report by Microfinance Institution Network, or MFIN, NBFC-MFIs accounted for about 30 per cent of total micro finance credit of ₹1.9 trillion as of June 2019. MFIN is the industry body for NBFC-MFIs in India.

The announcement by the RBI is very positive for rural areas. Increased lending limits is expected to help enhance momentum in rural areas and revival of rural economy to some extent, says Udaya Kumar Hebbar, MD and CEO, CreditAccess Grameen. He also believes that these announcements are in line with inflation and rise in loan requirement by customers.

In light of rising demand for micro credit, the increased lending limits by the RBI gives more room for lenders to lend.

Per borrower lending limits for NBFC-MFI raised to ₹1.25 lakh from currently ₹1 lakh

Publication	The Hindu
Edition	Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Kolkata
Date	05 th October, 2019
Page No.	15

Income threshold to avail microfinance increased

Lending limit per borrower also raised from ₹1 lakh to ₹1.25 lakh

SPECIAL CORRESPONDENT
MUMBAI

In a move that will enable more borrowers to avail loans from microfinance institutions (MFI), the Reserve Bank of India has decided to raise the household income limit of borrowers to ₹2 lakh for urban and semi urban areas from ₹1.6 lakh.

For rural areas, the limit has been increased from ₹1 lakh to ₹1.25 lakh. Loans by MFIs to such borrowers are uncollateralised.

The lending limit per borrower has also been hiked from ₹1 lakh to ₹1.25 lakh.



The RBI said the decision was taken after taking into consideration the important role played by MFIs in delivering credit to those at the bottom of the economic pyramid and enable them to

play their assigned role in a growing economy. "This is a good move reflecting the change in household income since 2015 and allows clients to avail higher loan amounts from RBI-regulated... institutions," said Manoj Nambiar, chairperson, Microfinance Institutions Network.

"This change will provide more room to NBFC-MFIs to lend and allow more households access to credit. Microfinance lenders will use this increased limit to continue to lend to the over 50 million borrowers," Mr. Nambiar added.

Publication	Asian Age
Edition	Delhi, Mumbai, Kolkata
Date	05 th October, 2019
Page No.	9

Microfinance lending limit raised to ₹1.25L

SANGEETHA G

CHENNAI, OCT. 4

The RBI has increased the household income limit as well as the lending limit per borrower for NBFC-MFIs (non-banking financial company—micro finance institutions), thus providing a potential for around 25 per cent incremental growth. However, industry observers are apprehensive about the increased risk involved in the growth of average ticket size.

The household income limit for borrowers of NBFC-MFIs has been increased from the current level of Rs 1 lakh for rural areas and Rs 1.60 lakh for urban/semi urban areas to Rs 1.25 lakh and Rs 2 lakh, respectively. Furthermore, the lending limit per eligible borrower has been raised from Rs 1 lakh to Rs 1.25 lakh. These measures are expected to boost MFI lending to the bottom of the economic pyramid, RBI said.

"This is a good move reflecting the change in household income since 2015 and allows clients to avail a higher loan amount from RBI regulated formal financial institutions. Besides this change it will be a win-win situation for the lender and the borrower by providing more room to individual NBFC-MFIs to lend and allow more households access credit.

The microfinance lenders will use this increased limit to continue to lend responsibly to the over 50 million borrowers and contribute to financial inclusion," said Manoj Nambiar, Chairperson, MFIN on the RBI Policy.

M. B. Mahesh, Associate Director, Kotak Institutional Equities believes the incremental growth of 25 per cent will not happen immediately, but would take two to three years.

However, some industry observers are skeptical. "RBI has considered the possible income increase in the past four-five years, taking into account the inflation as well as the increase in minimum wages. However on the ground, income levels may not have increased in every region equally," an expert said.

Further, the eastern states have been registering a significantly higher growth in recent times, which has been becoming a matter of concern for the industry. Increase in average ticket size as well as number of loan accounts per borrower are risk factors. Single borrower having accounts with different micro credit agencies, including universal banks, small finance banks, NBFCs and NBFC-MFIs, is also a risk factor. In case of untoward incidents like natural calamities, this can lead to a spike in delinquencies.

Publication	Deccan Chronicle
Edition	Bangalore, Chennai
Date	05 th October, 2019
Page No.	11

Microfinance lending limit raised to ₹1.25L

SANGEETHA G
CHENNAI, OCT. 4

The RBI has increased the household income limit as well as the lending limit per borrower for NBFC-MFIs (non-banking financial company—micro finance institutions), thus providing a potential for around 25 per cent incremental growth. However, industry observers are apprehensive about the increased risk involved in the growth of average ticket size.

The household income limit for borrowers of NBFC-MFIs has been increased from the current level of Rs 1 lakh for rural areas and Rs 1.60 lakh for urban/semi urban areas to Rs 1.25 lakh and Rs 2 lakh, respectively. Furthermore, the lending limit per eligible borrower has been raised from Rs 1 lakh to Rs 1.25 lakh. These measures are expected to boost MFI lending to the bottom of the economic pyramid, RBI said.

"This is a good move reflecting the change in household income since 2015 and allows clients to avail a higher loan amount from RBI regulated formal financial institutions. Besides this change it will be a win-win situation for the lender and the borrower by providing more room to individual NBFC-MFIs to lend and allow more households access credit. The microfinance lenders

will use this increased limit to continue to lend responsibly to the over 50 million borrowers and contribute to financial inclusion," said Manoj Nambiar, Chairperson, MFIN on the RBI Policy.

M. B. Mahesh, Associate Director, Kotak Institutional Equities believes the incremental growth of 25 per cent will not happen immediately, but would take two to three years.

However, some industry observers are skeptical. "RBI has considered the possible income increase in the past four-five years, taking into account the inflation as well as the increase in minimum wages. However on the ground, income levels may not have increased in every region equally," an expert said.

Further, the eastern states have been registering a significantly higher growth in recent times, which has been becoming a matter of concern for the industry. Increase in average ticket size as well as number of loan accounts per borrower are risk factors. Single borrower having accounts with different micro credit agencies, including universal banks, small finance banks, NBFCs and NBFC-MFIs, is also a risk factor. In case of untoward incidents like natural calamities, this can lead to a spike in delinquencies.

Publication	Telegraph
Edition	Kolkata
Date	05 th October, 2019
Page No.	08

Breather for MFIs

A STAFF REPORTER

Calcutta: The RBI on Friday increased the lending cap for non-bank microfinance institutions to Rs 1.25 lakh from Rs 1 lakh per borrower.

The regulator has also increased the household income limit of borrowers of NBFC-MFIs from the current level of Rs 1 lakh to Rs 1.25 lakh in rural areas and to Rs 2 lakh from Rs 1.60 lakh in urban and semi-urban areas.

The income and loan limits were last revised in 2015. The industry expects the move to help maintain the credit growth momentum in the sector. The detailed guidelines will be issued soon.

"The move will allow

FACT CHECK

For year ended March

	2018	2019
Entities	69	82
Loan accounts (cr)	3.30	4.13
Outstanding Portfolio (Rs cr)	48522	68868

clients to get a higher loan amount from RBI regulated formal financial institutions. Besides, it will provide more room to individual NBFC-MFIs to lend and allow more households access credit," said Manoj Nambiar, chairperson of MFIN, an industry body of NBFC-MFIs.

Higher limits, however, will not imply that each NBFC-MFI would be able to increase its exposure to individual customers by the extent of the increase.

"These are national limits. Each customer typically has at least two lender institutions. Each MFI would assess not only household income, but also indebtedness, repayment and only then give the loan," Nambiar told **The Telegraph**.

"This augurs well for rural microfinance because new borrowers who could not come within the fold earlier because of lending and household income limits will now be included," said H.P. Singh, CMD of Satin Creditcare Network Ltd.

Publication	Rashtriya Sahara
Edition	Delhi
Date	05 th October, 2019
Page No.	15

सूक्ष्म वित्तीय संस्थान दे सकेंगे अब ज्यादा कर्ज

► रिजर्व बैंक ने ऋण देने की सीमा बढ़ाई

■ मुंबई (भाषा)।

रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कर्ज देने की सीमा को पहले के एक लाख रुपए से बढ़ाकर शुक्रवार को 1.25 लाख रुपए कर दिया। यह कदम ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए उद्देश्यपूर्ण है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) या सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) से कर्ज लेने वाले कर्जदारों के लिए प्रत्येक आय की पात्र सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पहले के एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए और शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों के लिए 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया।

रिजर्व बैंक ने कहा कि इस बारे में जल्दी ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। सूक्ष्म वित्त एकाइयों के मंच एमएफआईएन के अध्यक्ष मनोज नाग्वियार ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए एक बयान में

कहा कि यह अच्छा फैसला है जो परिवारों की आय में 2015 से हुए बदलाव को परिलक्षित करता है। इससे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ग्राहक पहले से ज्यादा कर्ज ले सकेंगे।

उन्होंने कहा कि सूक्ष्म ऋण संस्थाएं पांच करोड़ से अधिक लोगों की मदद कर वित्तीय समावेश को बढ़ाने में योगदान कर रही हैं।

उत्प्रेक्षित है कि रिजर्व बैंक ने 2010 में आंध्र प्रदेश के सूक्ष्म वित्त संकट के मददेनजर वाईएस मालेगम की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया था। उप-समिति को सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों तथा चुनौतियों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उप समिति के सुझावों के आधार पर ही

एनबीएफसी-एमएफआई की अलग श्रेणी गठित की गई थी तथा दिसम्बर 2011 में विस्तृत नियामकीय रूपरेखा जारी की गई थी। रिजर्व बैंक ने कहा कि वह भारतीय रुपए में विदेशी लेनदेन विशेषकर बाह्य वाणिज्यिक कर्ज, व्यापार ऋण तथा निर्यात एवं आयात को प्रोत्साहित करने के कदम उठा रहा है।

फैसला



■ एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए निर्धारित की सीमा
■ केंद्रीय बैंक की इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ेगी कर्ज की उपलब्धता

Publication	Virat Vaibhav
Edition	Delhi
Date	05 th October, 2019
Page No.	15

रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कर्ज देने की सीमा बढ़ाई

एजेंसी ■ मुंबई

रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कर्ज देने की सीमा को पहले के एक लाख रुपए से बढ़ाकर शुरुवार को 1.25 लाख रुपए कर दिया। यह कदम ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) या सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) से कर्ज लेने वाले कर्जदारों के लिए घरेलू आय की पात्र सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पहले के एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए और शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों के लिए 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया।

रिजर्व बैंक ने कहा कि इस बारे में जल्दी ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। सूक्ष्म वित्त इकाइयों के मंच एमएफआईएन के अध्यक्ष मनोज नाम्बियार ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए एक बयान में कहा कि यह अच्छा फैसला है परिवारों की आय में 2015 से हुए बदलाव को परिलक्षित करता है और इससे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ग्राहक पहले से ज्यादा कर्ज ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं पांच करोड़ से अधिक लोगों की मदद कर वित्तीय

समावेश को बढ़ाने में योगदान कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने 2010 में आंध्र प्रदेश के सूक्ष्म वित्त संकट के महेनजर वाई.एच.मालेगम की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया था। उप-समिति को सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों तथा चुनौतियों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उप-समिति के सुझावों के आधार पर ही एनबीएफसी-एमएफआई की अलग श्रेणी गठित की गई थी तथा दिसंबर 2011 में विस्तृत नियामकीय रूपरेखा जारी की गई थी।

रिजर्व बैंक ने कहा कि वह भारतीय रुपए में विदेशी लेन-देन विशेषकर बाह्य वाणिज्यिक कर्ज, व्यापार ऋण तथा निर्यात एवं आयात को प्रोत्साहित करने के कदम उठा रहा है। विदेशों में रुपए के बाजार के संबंध में रिजर्व बैंक ने उपाय शोध समिति की रिपोर्ट के सुझावों का अध्ययन किया और उनमें से कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया। इनमें घरेलू बैंकों को किसी भी समय अनिवासी भारतीयों को भारतीय खाते से बाहर घरेलू बिक्री टीम या विदेशी शाखाओं के जरिए विदेशी विनिमय की पेशकश करना शामिल है। रिजर्व बैंक ने कहा कि समिति के अन्य सुझावों पर विचार किया जा रहा है और आने वाले समय में लिए जाने वाले निर्णयों की घोषणा की जाएगी।

Publication	Bartaman
Edition	Kolkata
Date	05 th October, 2019
Page No.	13

আরও মানুষকে ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় আনতে উদ্যোগী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিষি, কলকাতা: ব্যাঙ্ক নয়, এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ক্ষুদ্র ঋণ নেওয়ার অধিকার সবার নেই। তার জন্য নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে দিয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। সেই সীমারেখা শুক্রবার খানিকটা বাড়াল আরবিআই। তারা জানিয়েছে, বছরে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা আয় হয়, গ্রামে এমন পরিবারের ব্যক্তি মাইক্রো ফিন্যান্স সংস্থা থেকে ঋণ নিতে পারবেন। আগের সেই সীমারেখা এতদিন ছিল এক লক্ষ টাকা। একই সঙ্গে শহর ও আধা শহরের ক্ষেত্রেও পারিবারিক রোজগারের সীমা বাড়ানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, দু'লক্ষ টাকা পর্যন্ত আগের ক্ষেত্রে ওই ঋণ নেওয়া যাবে। আগে তা ছিল ১.৬ লক্ষ টাকা। মাইক্রো ফিন্যান্স সংস্থাগুলির সংগঠন এমফিন-এর চেয়ারম্যান মনোজ নাথিয়ের বলেন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তরফে এই ঘোষণা অত্যন্ত দৃঢ় পদক্ষেপ। ২০১৫ সাল থেকে যেভাবে মানুষের আয় বেড়েছে, তাতে ওই সীমা বৃদ্ধি হওয়ার দরকার ছিল। এতে যেমন ঋণগ্রহীতাদের সুবিধা হবে, তেমনিই যে সংস্থাগুলি ঋণ দেয়, তারাও ঋণের বহর বাড়াতে পারবে। পাঁচ কোটিরও বেশি মানুষকে এই ঋণের আওতায় আনলে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে। অন্যদিকে, এমফিনের অন্যতম সদস্য এবং ভিলেজ ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস-এর এমডি এবং সিইও কুলদীপ মাইতি বলেন, আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে ক্ষুদ্র ঋণ পৌঁছানো সম্ভব হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই পদক্ষেপ গোটা সমাজের পক্ষেই মঙ্গলদায়ক। উৎসবের মুখে এটি সুখবর তো বটেই, দাবি কুলদীপবাবুর।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শুক্রবার ফের ২৫ বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমিয়েছে। অর্থাৎ, ব্যাঙ্কগুলিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক যে হারে ধার দেয়, সেই সুদের হার কমানো হয়েছে। কিন্তু আরবিআইয়ের সেই পদক্ষেপে ব্যাঙ্কগুলি কতটা এগবে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছে ক্ষুদ্র ঋণদাতা সংস্থাগুলি। তাদের বক্তব্য, এর আগেও যেখন রেপো রেট কমানো হয়েছে, তখন ব্যাঙ্ক তাদের সুদের হার সেই অনুপাতে কমায়নি। অথচ সুদের হার কমাতে, তার প্রভাব পড়ত ক্ষুদ্র ঋণেও। আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিরা সেক্ষেত্রে আরও কম সুদের হারে ঋণ পেতে পারতেন। ব্যাঙ্কগুলি যাতে সেই সুবিধার দরজা খুলে দেয়, তার জন্য আজি জানিয়েছে মাইক্রো ফিন্যান্স সংস্থাগুলি। এখন ব্যাঙ্কগুলি সেই বিষয়ে কী পদক্ষেপ করে, সেটাই দেখার।

Website	The Economic Times.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/microfinance-limits-raised-sector-gets-shot-in-the-arm/articleshow/71438637.cms

THE ECONOMIC TIMES

Microfinance limits raised, sector gets shot in the arm

RBI has raised the household income limit for availing micro loans while enhanced the lending limit to Rs 1.25 lakh per eligible borrower from Rs 1 lakh earlier.

By Atmadip Ray, ET Bureau | Oct 04, 2019, 04:50 PM IST

0 Comments

Save

A+ Print Email Bookmark

SCCL



Kolkata: Reserve Bank of India has raised the micro loan limits to ensure higher flow of funds to the economically weaker section as their role in the economy has grown over the years with the government's inclusive agenda.

In a twin-move, the regulator has raised the household income limit for availing micro loans while enhanced the lending limit to Rs 1.25 lakh per eligible borrower from Rs 1 lakh earlier.

"Taking into consideration the important role played by MFIs in delivering credit to those in the bottom of the economic pyramid and enable them to play their assigned role in a growing economy, it is proposed to revise these criteria," RBI said Friday.

RBI said borrowers with annual household income up to Rs 1.25 lakh in rural areas would now be eligible to take micro loans

Microfinance limits raised, sector gets shot in the arm

RBI has raised the household income limit for availing micro loans while enhanced the lending limit to Rs 1.25 lakh per eligible borrower from Rs 1 lakh earlier.

By Atmadip Ray, ET Bureau | Oct 04, 2019, 04:50 PM

Reserve Bank of India has raised the micro loan limits to ensure higher flow of funds to the economically weaker section as their role in the economy has grown over the years with the government's inclusive agenda.

In a twin-move, the regulator has raised the household income limit for availing micro loans while enhanced the lending limit to Rs 1.25 lakh per eligible borrower from Rs 1 lakh earlier.

"Taking into consideration the important role played by MFIs in delivering credit to those in the bottom of the economic pyramid and enable them to play their assigned role in a growing economy, it is proposed to revise these criteria," RBI said Friday.

The decisions would provide a shot in the arm to the country's microfinance sector as they could cater to a wider market now. The income and loan limits to classify an exposure as eligible asset were last revised in 2015. RBI said borrowers with annual household income up to Rs 1.25 lakh in rural areas would now be eligible to take micro loans while the threshold limit was Rs 1 lakh earlier.

Similarly, income limit has been raised to Rs 2 lakh from Rs 1.6 lakh for borrowers in urban and semi urban pockets. "This is a good move and reflects the change in household income since 2015," said Manoj Nambiar, chairperson at Microfinance Institutions Network, the sector lobby group and self-regulator.

Website	The Hindu Business Line.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/reserve-bank-increases-lending-caps-for-micro-finance-institutions/article29597360.ece

BusinessLine

Reserve Bank increases lending caps for micro finance institutions

Mumbai | Updated on October 04, 2019 | Published on October 04, 2019



Our Bureau

With the aim to increase credit availability to lower income groups, the Reserve Bank on India, on Friday, raised the lending caps for micro finance institutions.

Household income limit

The household income limit for borrowers of NBFC-MFIs in rural areas will be hiked to ₹1.25 lakh from the current ₹1 lakh, while for urban and semi-urban areas it will be increased to ₹2 lakh from the current ₹1.6 lakh.



The RBI has also announced raising the lending limit to every eligible borrower to ₹1.25 lakh from the current ₹1 lakh.

Reserve Bank increases lending caps for micro finance institutions

With the aim to increase credit availability to lower income groups, the Reserve Bank on India, on Friday, raised the lending caps for micro finance institutions.

Household income limit

The household income limit for borrowers of NBFC-MFIs in rural areas will be hiked to ₹1.25 lakh from the current ₹1 lakh, while for urban and semi-urban areas it will be increased to ₹2 lakh from the current ₹1.6 lakh.

The RBI has also announced raising the lending limit to every eligible borrower to ₹1.25 lakh from the current ₹1 lakh.

“Taking into consideration the important role played by MFIs in delivering credit to those in the bottom of the economic pyramid and to enable them play their assigned role in a growing economy, it is proposed to revise these criteria,” the RBI said in its Statement on Developmental and Regulatory Policies on Friday, adding that detailed guidelines would be issued soon. The income and loan limits to classify an exposure as eligible asset were last revised in 2015.

Micro finance crisis

Following the micro finance crisis in Andhra Pradesh in 2010, a sub-committee of the Central Board of the Reserve Bank, chaired by YH Malegam, was set up to study the issues in the sector. Based on its recommendations, a separate category of NBFC- MFI was created with a detailed regulatory framework in December 2011. Industry players welcomed the move, and said that it is in tandem with the rising income levels.

“This is a good move, reflecting the change in household income since 2015, and allows clients to avail a higher loan amount from RBI-regulated formal financial institutions.

“Besides this change, it will be a win-win situation for the lender and the borrower by providing more room to individual NBFC-MFIs to lend and allow more households access credit,” said Manoj Nambiar, Chairperson, MFIN.

HP Singh, Chairman and Managing Director, Satin Creditcare Network, said: “This specially augers well for rural microfinance because new borrowers, who could not come in the fold earlier due to lending limits and household income limits, will now be included.”

Website	The Hindu.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://www.thehindu.com/business/income-threshold-to-avail-microfinance-increased/article29598471.ece



Income threshold to avail microfinance increased



SPECIAL CORRESPONDENT

MUMBAI, OCTOBER 04, 2019 22:26 IST
 UPDATED: OCTOBER 05, 2019 04:59 IST

SHARE ARTICLE







PRINT

A | A | A



Representational image. File | Photo Credit: Ramesh Sharma

Lending limit per borrower also raised from ₹1 lakh to ₹1.25 lakh

In a move that will enable more borrowers to avail loans from microfinance institutions (MFI), the Reserve Bank of India has decided to raise the household income limit of borrowers to ₹2 lakh for urban and semi urban areas from ₹1.6 lakh.

For rural areas, the limit has been increased from ₹1 lakh to ₹1.25 lakh. Loans by MFIs to such borrowers are uncollateralised.

This will mean that all the borrowers having an household income of ₹2 lakh in urban/semi urban areas and ₹1.25 lakh in rural areas will be eligible for loans from MFIs, which are uncollateralised.

Income threshold to avail microfinance increased

Lending limit per borrower also raised from ₹1 lakh to ₹1.25 lakh

In a move that will enable more borrowers to avail loans from microfinance institutions (MFI), the Reserve Bank of India has decided to raise the household income limit of borrowers to ₹2 lakh for urban and semi urban areas from ₹1.6 lakh.

For rural areas, the limit has been increased from ₹1 lakh to ₹1.25 lakh. Loans by MFIs to such borrowers are uncollateralised.

This will mean that all the borrowers having an household income of ₹2 lakh in urban/semi urban areas and ₹1.25 lakh in rural areas will be eligible for loans from MFIs, which are uncollateralised.

The lending limit per borrower has also been hiked from ₹1 lakh to ₹1.25 lakh.

The RBI said the decision was taken after taking into consideration the important role played by MFIs in delivering credit to those at the bottom of the economic pyramid and enable them to play their assigned role in a growing economy. "This is a good move reflecting the change in household income since 2015 and allows clients to avail higher loan amounts from RBI-regulated... institutions," said Manoj Nambiar, chairperson, Microfinance Institutions Network.

"This change will provide more room to NBFC-MFIs to lend and allow more households access to credit. Microfinance lenders will use this increased limit to continue to lend to the over 50 million borrowers," Mr. Nambiar added.

Website	Mydigitalfc.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://www.mydigitalfc.com/companies/051019/microfinance-lending-limit-raised-to-rs-125-lakh.html



Microfinance lending limit raised to Rs 1.25 Lakh

Chennai: The RBI has increased the household income limit as well as the lending limit per borrower for NBFC-MFIs (non-banking financial company—micro finance institutions), thus providing a potential for around 25 per cent incremental growth. But industry observers are apprehensive about the higher risk involved in the growth of average ticket size.

The household income limit for borrowers of NBFC-MFIs has been increased from the current level of Rs 1 lakh for rural areas and Rs 1.60 lakh for urban/semi urban areas to Rs 1.25 lakh and Rs 2 lakh, respectively. Further, the lending limit per borrower has been raised from Rs 1 lakh to Rs 1.25 lakh. These measures are expected to boost MFI lending to the bottom of the economic pyramid, RBI said.

“This is a good move reflecting the change in household income since 2015 and allows clients to avail a higher loan amount from RBI regulated financial institutions. Besides this change it will be

a win-win situation for the lender and the borrower by providing more room to individual NBFC-MFIs to lend and allow more households access credit,” said Manoj Nambiar, Chairperson, MFIN.

Website	Deccan Chronicle.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://www.deccanchronicle.com/business/companies/051019/microfinance-lending-limit-raised-to-rs-125-lakh.html



Microfinance lending limit raised to Rs 1.25 Lakh

Chennai: The RBI has increased the household income limit as well as the lending limit per borrower for NBFC-MFIs (non-banking financial company—micro finance institutions), thus providing a potential for around 25 per cent incremental growth. But industry observers are apprehensive about the higher risk involved in the growth of average ticket size. The household income limit for borrowers of NBFC-MFIs has been increased from the current level of Rs 1 lakh for rural areas and Rs 1.60 lakh for urban/semi urban areas to Rs 1.25 lakh and Rs 2 lakh, respectively. Further, the lending limit per borrower has been raised from Rs 1 lakh to Rs 1.25 lakh. These measures are expected to boost MFI lending to the bottom of the economic pyramid, RBI said.

“This is a good move reflecting the change in household income since 2015 and allows clients to avail a higher loan amount from RBI regulated financial institutions. Besides this change it will be

a win-win situation for the lender and the borrower by providing more room to individual NBFC-MFIs to lend and allow more households access credit,” said Manoj Nambiar, Chairperson, MFIN.

Website	Asian Age.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://www.asianage.com/business/in-other-news/051019/microfinance-lending-limit-raised-to-rs-125l.html

THE ASIAN AGE

Microfinance lending limit raised to Rs 1.25L

THE ASIAN AGE | SANGEETHA G

Published : Oct 5, 2019, 1:50 am IST

Updated : Oct 5, 2019, 1:50 am IST



In case of untoward incidents like natural calamities, this can lead to a spike in delinquencies.



Further, the eastern states have been registering a significantly higher growth in recent times, which has been becoming a matter of concern for the industry.

Chennai: The RBI has increased the household income limit as well as the lending limit per borrower for NBFC-MFIs (non-banking financial company—micro finance institutions), thus providing a potential for around 25 per cent incremental growth. However, industry observers are apprehensive about the increased risk involved in the growth of average ticket size.

The household income limit for borrowers of NBFC-MFIs has been increased from the current level of Rs 1 lakh for rural areas and Rs 1.60 lakh for urban/semi urban areas to Rs 1.25 lakh and Rs 2 lakh, respectively. Furthermore, the lending limit per eligible borrower has been raised from Rs 1 lakh to Rs 1.25 lakh. These measures are expected to boost MFI lending to the bottom of the economic pyramid, RBI said.

MOST

1. Ag re Vi sr Su re
2. Sa re in Ri La ka W at u:
- 3.
- 4.
- 5.



PAY
2
PER

EDITO

Microfinance lending limit raised to Rs 1.25L

In case of untoward incidents like natural calamities, this can lead to a spike in delinquencies.

Further, the eastern states have been registering a significantly higher growth in recent times, which has been becoming a matter of concern for the industry.

Chennai: The RBI has increased the household income limit as well as the lending limit per borrower for NBFC-MFIs (non-banking financial company—micro finance institutions), thus providing a potential for around 25 per cent incremental growth. However, industry observers are apprehensive about the increased risk involved in the growth of average ticket size.

The household income limit for borrowers of NBFC-MFIs has been increased from the current level of Rs 1 lakh for rural areas and Rs 1.60 lakh for urban/semi urban areas to Rs 1.25 lakh and Rs 2 lakh, respectively. Furthermore, the lending limit per eligible borrower has been raised from Rs 1 lakh to Rs 1.25 lakh. These measures are expected to boost MFI lending to the bottom of the economic pyramid, RBI said.

“This is a good move reflecting the change in household income since 2015 and allows clients to avail a higher loan amount from RBI regulated formal financial institutions. Besides this change it will be a win-win situation for the lender and the borrower by providing more room to individual NBFC-MFIs to lend and allow more households access credit. The microfinance lenders will use this increased limit to continue to lend responsibly to the over 50 million borrowers and contribute to financial inclusion,” said Manoj Nambiar, Chairperson, MFIN on the RBI Policy.

M. B. Mahesh, Associate Director, Kotak Institutional Equities believes the incremental growth of 25 per cent will not happen immediately, but would take two to three years.

However, some industry observers are skeptical. “RBI has considered the possible income increase in the past four-five years, taking into account the inflation as well as the increase in minimum wages. However on the ground, income levels may not have increased in every region equally,” an expert said.

Further, the eastern states have been registering a significantly higher growth in recent times, which has been becoming a matter of concern for the industry. Increase in average ticket size as well as number of loan accounts per borrower are risk factors. Single borrower having accounts with different micro credit agencies, including universal banks, small finance banks, NBFCs and NBFC-MFIs, is also a risk factor. In case of untoward incidents like natural calamities, this can lead to a spike in delinquencies.

Website	BloombergQuint.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://www.bloombergquint.com/business/rbi-eases-norms-for-microfinance-lenders-hikes-loan-limit-to-rs-125-lakh

Bloomberg | *Quint*
Markets
Business
BQ Blue Exclusive
Mutual Funds
Videos
>



Monetary Policy: RBI Eases Norms For Microfinance Lenders, Hikes Loan Limit To Rs 1.25 Lakh

Vishwanath Nair

Published on October 04 2019, 1:07 PM
Last Updated on: October 04 2019, 4:19 PM

The Reserve Bank of India on Friday raised income limits to be eligible for loans as the banking regulator wants more borrowers to have access to microfinance credit.

Monetary Policy: RBI Eases Norms For Microfinance Lenders, Hikes Loan Limit To Rs 1.25 Lakh

The Reserve Bank of India on Friday raised income limits to be eligible for loans as the banking regulator wants more borrowers to have access to microfinance credit. The household income limit for rural borrowers has been raised to Rs 1.25 lakh per annum from Rs 1 lakh earlier, RBI said in a statement on developmental and regulatory policies uploaded on its website. For semi-urban and urban households, the limit has been raised to Rs 2 lakh from Rs 1.6 lakh earlier. RBI also allowed microfinance lenders to extend maximum credit worth Rs 1.25 lakh to eligible borrowers from Rs 1 lakh earlier.

The new limits will apply to non-banking finance company-microfinance institutions. That's expected to improve the flow of credit to the economically weaker sections of the society. The increase in household income limit will also allow banks to classify more loans as "microfinance" on their books, allowing more liquidity being made available to NBFC-MFIs. Typically, banks

purchase microfinance loans from smaller lenders to ensure that their priority sector loan requirement is met.

As of June, there were 84 entities in the NBFC-MFI segment where the outstanding loan book stood at nearly Rs 57,000 crore, according to data collated by Equifax. Among banks, the total microfinance loan book stood at more than Rs 78,000 crore. "This is a good move reflecting the change in household income since 2015 and allows clients to avail of a higher loan amount from the RBI regulated formal financial institutions," Manoj Nambiar, chairman at MicroFinance Institutions Network, told BloombergQuint. This change will also be a win-win for lenders and borrowers as it will provide more room to individual NBFC-MFIs to lend and allow more households access credit, Nambiar said. "The microfinance lenders will use this increased limit to continue to lend responsibly to over 50 million borrowers and contribute to financial inclusion."

The central bank had last revised the household income and loan limit in 2015. The current revision limit, it said in the statement, is being made after taking "into consideration the important role played by MFIs in delivering credit to those in the bottom of the economic pyramid, and to enable them to play their assigned role in a growing economy". The RBI will issue detailed guidelines soon.

The microfinance industry has faced stringent norms after a crisis in the sector in 2010. At the time, microfinance lenders concentrated in Andhra Pradesh had seen severe deterioration in their business as over-lending to smaller borrowers led to a state-wide problem. RBI had set up a committee under YH Malegam to study the segment and recommend appropriate norms. The recommendations of the committee were then implemented in 2011 to ensure that another microfinance crisis doesn't take place.

Website	Fortune India.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://www.fortuneindia.com/macro/india-inc-reacts-to-rbis-rate-cut-decision/103633

FORTUNE
INDIA

MACRO

India Inc. reacts to RBI's rate cut decision

The MPC's decision to continue its accommodative policy stance as long as it is necessary to revive growth cheers industry.

By FORTUNE INDIA, Oct 4, 2019 | 5 min read



India Inc. reacts to RBI's rate cut decision

The MPC's decision to continue its accommodative policy stance as long as it is necessary to revive growth cheers industry.

The Reserve Bank of India (RBI) on Friday reduced the repo rate by 25 basis points (bps) to 5.15%, the lowest since March 2010. It also reduced its GDP growth forecast for FY20 to 6.1% from 6.9%.

The Monetary Policy Committee has “also decided to continue with the accommodative stance as long as it is necessary to revive growth, while ensuring that inflation remains within the target”.

Here are reactions from the industry on the policy decision:

Chandra Shekhar Ghosh, MD & CEO, Bandhan Bank

The rate cut has been in line with expectations. While overall growth seems to be sluggish, in core Bandhan Bank markets – rural and semi-urban India – we are experiencing business as usual. The setting up of the ‘Acceptance Development Fund’ is an encouraging move and should help in driving easier spends and consumption.

Rajnish Kumar, chairman, SBI

The 25 bps rate cut coupled with an explicit policy acknowledgement of further rate cuts would ensure that fiscal and monetary policy work in tandem in arresting growth concerns. The lowering of the GDP growth outlook to 6.1% for FY20 also reflects a realistic projection in view of weak domestic demand, slowing global growth and continuing trade tensions.

On the development and regulatory front the decision to extend the collateralised liquidity support on a round-the-clock basis is a welcome step as it will help banks extend the NEFT facility in a seamless and non-disruptive manner. Allowing domestic banks to quote exchange rates on a 24-hour basis heralds a paradigm shift for the Indian forex market. Having said that, how much competitive rates banks will be able to quote post Indian market hours, will be keenly watched going forward. Creation of the Acceptance Development Fund (ADF) and the decision to have 100% digitally enabled districts in each state/UT will further expedite the current pace of expansion of the digital payments ecosystem across the country.

Jyoti Vaswani, chief investment officer, Future Generali India Life Insurance

The MPC has yet again exemplified its proactiveness by complementing the fiscal initiatives of the government with monetary policy easing in order to more effectively revive the economy. The MPC’s emphasis on maintaining the accommodative stance as long as it’s imperative to resuscitate growth rightly sets the stage for more rate cuts in the future, albeit the policy could have been more appealing with some counter-cyclical measures. While the MPC has delivered with a long series of rate cuts, ensuring policy efficacy in terms of transmission in lending rates and pickup in growth should be the way forward.

Manoj Nambiar, chairperson, MFIN

This is a good move reflecting the change in household income since 2015 and allows clients to avail a higher loan amount from RBI-regulated formal financial institutions. Besides this change it will be a win-win situation for the lender and the borrower by providing more room to

individual NBFC-MFIs to lend and allow more households access credit. The microfinance lenders will use this increased limit to continue to lend responsibly to the more than 50 million borrowers and contribute to financial inclusion.

Surendra Hiranandani, chairman and managing director, House of Hiranandani

With the festive season round the corner, we definitely welcome this move as people make huge purchases during Navratras and Diwali. The real estate sector has been looking forward to such initiatives to boost sales as it is highly sensitive to interest rate movements. This further reduction of repo rate will not only bring down the lending rates but also incentivise investment and boost consumption. The government has already announced a series of measures including a steep cut in corporate tax amongst others to jump-start growth and revive the sagging economy.

George Alexander Muthoot, MD, Muthoot Finance

RBI's rate cut of 25 bps focuses on improving the financial health of the economy and managing inflation. We look forward to recovery in consumption levels with banks eventually passing on the benefits to both corporates and consumers. With constant rate cuts, amendments in policies and the beginning of festive season, we expect the economy to be soon in its best health.

Zarin Daruwala, CEO, India, Standard Chartered Bank

RBI reaffirmed its strong commitment to India's growth by cutting the repo rate by 25 bps and continuing with its accommodative stance. Cumulative reduction of 135 bps in repo rate delivered so far in 2019, along with the recent cut in corporate tax by the Govt., should help revive growth in the coming months. Additionally, the move to a 24x7 NEFT payment system and allowing domestic banks to offer forex prices to non-residents, are some of the other positive steps.

Mihir Vora, chief investment officer, Max Life Insurance

Taking into account the continuing slowdown including the high-frequency indicators, RBI revised its growth projections for FY20 downwards from 6.9% in the August policy to 6.1%. The focus has shifted further towards supporting growth as inflation is well below RBI's 4% target. Further, global data also indicates that even the global growth outlook is weakening.

With this backdrop, RBI re-iterated that with inflation expected to remain below target, there is policy space to address growth concerns by reinvigorating domestic demand within flexible inflation targeting mandate. RBI's move to reduce repo rate by 25 bps is a welcome one and will help in lowering cost of capital in the economy.

Website	Dailyhunt.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://m.dailyhunt.in/news/india/english/asian+age-epaper-asianage/microfinance+lending+limit+raised+to+rs+1+25l-newsid-140251014



Microfinance lending limit raised to Rs 1.25L



In case of untoward incidents like natural calamities, this can lead to a spike in delinquencies. Chennai: The RBI has increased the household income limit as well as the lending limit per borrower for NBFC-MFIs (non-banking financial company-micro finance institutions), thus providing a potential for around 25 per cent incremental growth. However, industry observers are apprehensive about the increased risk involved in the growth of average ticket size. The household income limit for borrowers of NBFC-MFIs has been increased from the current level of Rs 1 lakh for rural areas and Rs 1.60 lakh for urban/semi urban areas to Rs 1.25 lakh and Rs 2 lakh, respectively. Furthermore, the lending limit per eligible borrower has been raised from Rs 1 lakh to Rs 1.25 lakh. These measures are expected to boost MFI lending to the bottom of the economic pyramid, RBI said.

Microfinance lending limit raised to Rs 1.25L

In case of untoward incidents like natural calamities, this can lead to a spike in delinquencies. Chennai: The RBI has increased the household income limit as well as the lending limit per borrower for NBFC-MFIs (non-banking financial company-micro finance institutions), thus providing a potential for around 25 per cent incremental growth. However, industry observers are apprehensive about the increased risk involved in the growth of average ticket size.

The household income limit for borrowers of NBFC-MFIs has been increased from the current level of Rs 1 lakh for rural areas and Rs 1.60 lakh for urban/semi urban areas to Rs 1.25 lakh and Rs 2 lakh, respectively. Furthermore, the lending limit per eligible borrower has been raised from Rs 1 lakh to Rs 1.25 lakh. These measures are expected to boost MFI lending to the bottom of the economic pyramid, RBI said.

"This is a good move reflecting the change in household income since 2015 and allows clients to avail a higher loan amount from RBI regulated formal financial institutions. Besides this change it will be a win-win situation for the lender and the borrower by providing more room to individual NBFC-MFIs to lend and allow more households access credit. The microfinance lenders will use this increased limit to continue to lend responsibly to the over 50 million borrowers and contribute to financial inclusion," said Manoj Nambiar, Chairperson, MFIN on the RBI Policy.

M. B. Mahesh, Associate Director, Kotak Institutional Equities believes the incremental growth of 25 per cent will not happen immediately, but would take two to three years.

However, some industry observers are skeptical. "RBI has considered the possible income increase in the past four-five years, taking into account the inflation as well as the increase in minimum wages. However on the ground, income levels may not have increased in every region equally," an expert said.

Further, the eastern states have been registering a significantly higher growth in recent times, which has been becoming a matter of concern for the industry. Increase in average ticket size as well as number of loan accounts per borrower are risk factors. Single borrower having accounts with different micro credit agencies, including universal banks, small finance banks, NBFCs and NBFC-MFIs, is also a risk factor. In case of untoward incidents like natural calamities, this can lead to a spike in delinquencies.

Website	Dailyhunt.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://m.dailyhunt.in/news/india/english/deccan+chronicle-epaper-deccanch/microfinance+lending+limit+raised+to+rs+1+25+lakh-newsid-140249120



COMPANIES

Microfinance lending limit raised to Rs 1.25 Lakh



Chennai: The RBI has increased the household income limit as well as the lending limit per borrower for NBFC-MFIs (non-banking financial company—micro finance institutions), thus providing a potential for around 25 per cent incremental growth. But industry observers are apprehensive about the higher risk involved in the growth of average ticket size. The household income limit for borrowers of NBFC-MFIs has been increased from the current level of Rs 1 lakh for rural areas and Rs 1.60 lakh for urban/semi urban areas to Rs 1.25 lakh and Rs 2 lakh, respectively. Further, the lending limit per borrower has been raised from Rs 1 lakh to Rs 1.25 lakh. These measures are expected to boost MFI lending to the bottom of the economic pyramid, RBI said.

Microfinance lending limit raised to Rs 1.25 Lakh

Chennai: The RBI has increased the household income limit as well as the lending limit per borrower for NBFC-MFIs (non-banking financial company—micro finance institutions), thus providing a potential for around 25 per cent incremental growth. But industry observers are apprehensive about the higher risk involved in the growth of average ticket size.

The household income limit for borrowers of NBFC-MFIs has been increased from the current level of Rs 1 lakh for rural areas and Rs 1.60 lakh for urban/semi urban areas to Rs 1.25 lakh and Rs 2 lakh, respectively. Further, the lending limit per borrower has been raised from Rs 1 lakh to Rs 1.25 lakh. These measures are expected to boost MFI lending to the bottom of the economic pyramid, RBI said.

'This is a good move reflecting the change in household income since 2015 and allows clients to avail a higher loan amount from RBI regulated financial institutions. Besides this change it will be a win-win situation for the lender and the borrower by providing more room to individual NBFC-MFIs to lend and allow more households access credit,' said Manoj Nambiar, Chairperson, MFIN.

Website	english.newstracklive.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://english.newstracklive.com/news/rbi-raises-lending-limit-of-micro-finance-institutions-sc77-nu-1041094-1.html



Reserve Bank increases the lending limit of MFIs, villages and towns will get relief

The central government is taking all kinds of steps to fight the economic slowdown in the country. RBI also takes relief measures from time to time. In this series, reviewing the monetary policy, the lending limit for Micro Finance Institutions (MFIs) has been increased from Rs 1 lakh to Rs 1.25 lakh from the existing Rs 1 lakh. This move of the central bank will increase the availability of credit in rural and urban areas.

RBI has raised the eligibility limit of household income for borrowers from non-banking financial companies (NBFCs) or MFIs to Rs 1.60 lakh from the existing one lakh for rural areas and from Rs

1.25 lakh to Rs 2 lakh for urban and urban areas. RBI said that detailed guidelines in this regard will be issued soon.

Manoj Nambiar, president of MFIN, a platform for microfinance units, welcomed the decision, saying it was a good decision. This shows the change in the income of families since 2015. This will enable customers of microfinance institutions to borrow more than before. He said that microfinance institutions are making a significant contribution to increasing financial inclusion by helping more than 5 crores people. One of the reasons for the slowdown in the country is the decrease in demand in rural areas.

Website	bhasha.ptinews.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	http://www.bhasha.ptinews.com/news/1911182_bhasha

भाषा प्रेस ट्रस्ट ऑफ़ इंडिया

सत्य मेव जयते

रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिये कर्ज देने की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये की

बाटे प्रिंट ईमेल टिप्पणी [-] फ़ॉन्ट का आकार [+]

पीटीआई-भाषा संवाददाता 15:35 HRS IST

मुंबई, चार अक्टूबर (भाषा) रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिये कर्ज देने की सीमा को पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर शुक्रवार को 1.25 लाख रुपये कर दिया। यह कदम ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिये उठाया गया है।

रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) या सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) से कर्ज लेने वाले कर्जदारों के लिये घरेलू आय की पात्र सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों के लिये 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया।

रिजर्व बैंक ने कहा कि इस बारे में जल्दी ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे।

सूक्ष्म वित्त इकाइयों के मंच एमएफआईएन के अध्यक्ष मनोज नाम्बियार ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए एक बयान में कहा कि "यह अच्छा फैसला है परिवारों की आय में 2015 से हुए बदलाव को परिलक्षित करता है और इससे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ग्राहक पहले से ज्यादा कर्ज ले सकेंगे।" उन्होंने कहा कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं पांच करोड़ से अधिक लोगों की मदद कर वित्तीय समावेश को बढ़ाने में योगदान कर रही हैं।

उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने 2010 में आंध्र प्रदेश के सूक्ष्म वित्त संकट के मद्देनजर वाई.एच.मालेगम की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया था। उप-समिति को सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों तथा चुनौतियों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गयी थी।

उप-समिति के सुझावों के आधार पर ही एनबीएफसी-एमएफआई की अलग श्रेणी गठित की गयी थी तथा दिसंबर 2011 में विस्तृत नियामकीय रूपरेखा जारी की गयी थी।

रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिये कर्ज देने की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये की
विज्ञापन

मुंबई, चार अक्टूबर (भाषा) रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिये कर्ज देने की सीमा को पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर शुक्रवार को 1.25 लाख रुपये कर दिया। यह कदम ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिये उठाया गया है।

रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) या सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) से कर्ज लेने वाले कर्जदारों के लिये घरेलू आय की पात्र सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों के लिये 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया।

रिजर्व बैंक ने कहा कि इस बारे में जल्दी ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे।

सूक्ष्म वित्त इकाइयों के मंच एमएफआईएन के अध्यक्ष मनोज नाम्बियार ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए एक बयान में कहा कि “ यह अच्छा फैसला है परिवारों की आय में 2015 से हुए बदलाव को परिलक्षित करता है और इससे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ग्राहक पहले से ज्यादा कर्ज ले सकेंगे।” उन्होंने कहा कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं पांच करोड़ से अधिक लोगों की मदद कर वित्तीय समावेश को बढ़ाने में योगदान कर रही हैं।

उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने 2010 में आंध्र प्रदेश के सूक्ष्म वित्त संकट के मद्देनजर वाई.एच.मालेगम की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया था। उप-समिति को सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों तथा चुनौतियों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गयी थी।

उप-समिति के सुझावों के आधार पर ही एनबीएफसी-एमएफआई की अलग श्रेणी गठित की गयी थी तथा दिसंबर 2011 में विस्तृत नियामकीय रूपरेखा जारी की गयी थी।

रिजर्व बैंक ने कहा कि वह भारतीय रुपये में विदेशी लेन-देन विशेषकर बाह्य वाणिज्यिक कर्ज, व्यापार ऋण तथा निर्यात एवं आयात को प्रोत्साहित करने के कदम उठा रहा है।

विदेशों में रुपये के बाजार के संबंध में रिजर्व बैंक ने उषा थोर्ट समिति की रिपोर्ट के सुझावों का अध्ययन किया और उनमें से कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया। इनमें घरेलू बैंकों को किसी भी समय अनिवासी भारतीयों को भारतीय खाते से बाहर घरेलू बिक्री टीम या विदेशी शाखाओं के जरिये विदेशी विनिमय की पेशकश करना शामिल है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि समिति के अन्य सुझावों पर विचार किया जा रहा है और आने वाले समय में लिये जाने वाले निर्णयों की घोषणा की जाएगी।

Website	Financial Express.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://www.financialexpress.com/hindi/india-news/rbi-increases-lending-limit-of-mfis-to-rs-1-25-lakh-here-who-will-be-benefited/1726687/

FINANCIAL EXPRESS

HEAD TO HEAD

RBI ने MFIs के लिये कर्ज देने की लिमिट 1.25 लाख की, गांव-कस्बों में पहुंचेगा ज्यादा पैसा

रिजर्व बैंक जल्दी ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा.



FE Online
October 4, 2019 5:44 PM

0
SHARES



SHARE



रिजर्व बैंक जल्दी ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) के लिये कर्ज देने की सीमा को पहले के 1 लाख रुपये से बढ़ाकर शुक्रवार को 1.25 लाख रुपये कर दिया. यह कदम ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिये उठाया गया है. रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) या सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFI) से कर्ज लेने वाले कर्जदारों के लिए घरेलू आय की पात्र सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों के लिये 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया. रिजर्व बैंक ने कहा कि इस बारे में जल्दी ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.



TRENDING NOW



दियाली और छठ पर घर जाना होगा आसान, रेल ने पलाई स्पेशल ट्रेनें, ये है पूरी लिस्ट



भारत Vs दक्षिण अफ्रीका पहला टेस्ट: भारत 20 रनों से जीता, शमी और जडेजा की घातक गेंदबाजी ने दिखाया जलवा



RBI ने MFIs के लिये कर्ज देने की लिमिट 1.25 लाख की, गांव-कस्बों में पहुंचेगा ज्यादा पैसा
रिजर्व बैंक जल्दी ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगा.

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) के लिये कर्ज देने की सीमा को पहले के 1 लाख रुपये से बढ़ाकर शुक्रवार को 1.25 लाख रुपये कर दिया. यह कदम ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिये उठाया गया है. रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) या सूक्ष्म वित्त संस्थानों

(MFI) से कर्ज लेने वाले कर्जदारों के लिए घरेलू आय की पात्र सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों के लिये 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया. रिजर्व बैंक ने कहा कि इस बारे में जल्दी ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे.

वित्तीय समावेशन में मिलेगी मदद

माइक्रो फाइनेंस इकाइयों के प्लेटफॉर्म एमएफआईएन के अध्यक्ष मनोज नाम्बियार ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए एक बयान में कहा कि “यह अच्छा फैसला है परिवारों की आय में 2015 से हुए बदलाव को दर्शाता है और इससे माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के ग्राहक पहले से ज्यादा कर्ज ले सकेंगे.” उन्होंने कहा कि माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं 5 करोड़ से अधिक लोगों की मदद कर वित्तीय समावेश को बढ़ाने में योगदान कर रही हैं.

RBI का दिवाली गिफ्ट! होम लोन और ऑटो लोन की EMI कितनी हो सकती है कम, कैलकुलेशन से समझें

बता दें, रिजर्व बैंक ने 2010 में आंध्र प्रदेश के माइक्रो फाइनेंस संकट के मद्देनजर वाई.एच. मालेगम की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया था. उप-समिति को माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के मुद्दों तथा चुनौतियों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई थी. उप-समिति के सुझावों के आधार पर ही NBFC-MFI की अलग श्रेणी गठित की गई थी और दिसंबर 2011 में डिटेल् रेग्युलेटरी गाइडलाइन जारी की गई थी.

भारतीय रुपये में लेनदेन को बढ़ावा

रिजर्व बैंक ने कहा कि वह भारतीय रुपये में विदेशी लेन-देन विशेषकर ECB यानी एक्सटर्नल कॉमर्शियल बारोइंग, ट्रेड क्रेडिट और निर्यात एवं आयात को प्रोत्साहित करने के कदम उठा रहा है.

विदेश में रुपये के बाजार के संबंध में रिजर्व बैंक ने उषा थोराट समिति की रिपोर्ट के सुझावों का अध्ययन किया और उनमें से कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया. इनमें घरेलू बैंकों को किसी भी समय अनिवासी भारतीयों को भारतीय खाते से बाहर घरेलू बिक्री टीम या विदेशी शाखाओं के जरिये विदेशी विनिमय की पेशकश करना शामिल है.

Website	hindi.indiatvnews.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://hindi.indiatvnews.com/paisa/business-rbi-increases-lending-limit-of-mfis-to-rs-1-25-lakh-664959

INDIA TV PAISA

RBI ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कर्ज देने की सीमा बढ़ाई, अब दे सकेंगे 1.25 लाख रुपए तक का लोन

रिजर्व बैंक ने कहा कि इस बारे में जल्दी ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

India TV Paisa Desk
Published on: October 04, 2019 18:00 IST

WATCH
SERIES A

Check on your heart with the ECG app.*



Starting from
₹ 36,900*

Available Now

HDFC BANK
The universal bank

Inclusive of ₹4,000 cashback on HDFC Bank Debit & Credit Cards.

*Taxes apply. Computed on Apple Watch Series 1. 2019. 44mm.



Aadhar Housing Finance Ltd.
A subsidiary of ADFIL

Photo: RBI INCREASES LENDING LIM

RBI increases lending limit of MFIs to Rs 1.25 lakh

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कर्ज देने की सीमा को पहले के एक लाख रुपए से बढ़ाकर शुक्रवार को 1.25 लाख रुपए कर दिया है। यह कदम ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) या सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) से कर्ज लेने वाले कर्जदारों के लिए घरेलू आय की पात्र सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पहले के एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए और शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों के लिए 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया।

ISS DIWALI
REFURISH YOUR HOME WITH CITY FURNISH

BENT NOW

लैटेस्ट चूज़

नीकपिपरा लोगों को मिल सका है खुशहाली, वेधुन नियम में ही सफल है वेधुन

बढ़ावा

रिलायंस जनरल इंश्योरेंस में आईपीजी की योजना छोड़ी, दस्तावेज वापस लिए

इकबाल मिर्ची मनी लॉन्चिंग

RBI ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कर्ज देने की सीमा बढ़ाई, अब दे सकेंगे 1.25 लाख रुपए तक

का लोन

रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कर्ज देने की सीमा को पहले के एक लाख रुपए से बढ़ाकर शुक्रवार को 1.25 लाख रुपए कर दिया है। यह कदम ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) या सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) से कर्ज लेने वाले कर्जदारों के लिए घरेलू आय की पात्र सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पहले के एक लाख रुपए से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए और शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों के लिए 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया।

रिजर्व बैंक ने कहा कि इस बारे में जल्दी ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। सूक्ष्म वित्त इकाइयों के मंच एमएफआईएन के अध्यक्ष मनोज नाम्बियार ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए एक बयान में कहा कि

यह अच्छा फैसला है परिवारों की आय में 2015 से हुए बदलाव को परिलक्षित करता है और इससे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ग्राहक पहले से ज्यादा कर्ज ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म ऋण संस्थाएं पांच करोड़ से अधिक लोगों की मदद कर वित्तीय समावेश को बढ़ाने में योगदान कर रही हैं।

आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ देव शंकर त्रिपाठी ने कहा कि सरकार द्वारा पिछले एक महीने में लिए गए फैसलों और आज रेपो रेट में हुई कटौती से अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में मदद मिलेगी। आरबीआई के कदम से होम, रिटेल और एसएमई लोन की ईएमआई घटेगी क्योंकि अधिकांश बैंकों ने अपनी ब्याज दरों को 1 अक्टूबर से रेपो रेट से लिंक कर दिया है। एनबीएफसी और एचएफसी द्वारा ब्याज दरों में कमी करने में अभी थोड़ा समय लगेगा क्योंकि इनकी ब्याज दरें बैंकों द्वारा उनके टर्म लोन रेट पर निर्भर रहती हैं और जब बैंक अपने टर्म लोन रेट में कटौती करते हैं, तब हम इसका फायदा अपने ग्राहकों को दे पाते हैं।

Website	Prabhat Khabar.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://www.prabhatkhabar.com/news/economy/rbi-raises-loan-limit-for-micro-finance-institutions-to-rs-1-25-lakh/1336351.html

प्रभात खबर.com

RBI ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कर्ज देने की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये की

By Digital Live News Desk | Updated Date: Oct 4 2019 5:06PM



मुंबई : रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कर्ज देने की सीमा को पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर शुक्रवार को 1.25 लाख रुपये कर दिया. यह कदम ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है. रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) या सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) से कर्ज लेने वाले कर्जदारों के लिए घरेलू आय की पात्र सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों के लिए 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया.

RBI ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कर्ज देने की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये की

रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए कर्ज देने की सीमा को पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर शुक्रवार को 1.25 लाख रुपये कर दिया. यह कदम ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है. रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) या सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) से कर्ज लेने वाले कर्जदारों के लिए घरेलू आय की पात्र सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पहले के

एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों के लिए 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया.

रिजर्व बैंक ने कहा कि इस बारे में जल्दी ही विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे. सूक्ष्म वित्त इकाइयों के मंच एमएफआईएन के अध्यक्ष मनोज नाम्बियार ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए एक बयान में कहा कि यह अच्छा फैसला है. यह परिवारों की आय में 2015 से हुए बदलाव को परिलक्षित करता है और इससे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ग्राहक पहले से ज्यादा कर्ज ले सकेंगे. उन्होंने कहा कि सूक्ष्म ऋण संस्थाएं पांच करोड़ से अधिक लोगों की मदद कर वित्तीय समावेश को बढ़ाने में योगदान कर रही हैं.

रिजर्व बैंक ने 2010 में आंध्र प्रदेश के सूक्ष्म वित्त संकट के मद्देनजर वाईएच मालेगम की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया था. उप-समिति को सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों तथा चुनौतियों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गयी थी. उप-समिति के सुझावों के आधार पर ही एनबीएफसी-एमएफआई की अलग श्रेणी गठित की गयी थी तथा दिसंबर, 2011 में विस्तृत नियामकीय रूपरेखा जारी की गयी थी.

रिजर्व बैंक ने कहा कि वह भारतीय रुपये में विदेशी लेन-देन विशेषकर बाह्य वाणिज्यिक कर्ज, व्यापार ऋण तथा निर्यात एवं आयात को प्रोत्साहित करने के कदम उठा रहा है. विदेशों में रुपये के बाजार के संबंध में रिजर्व बैंक ने उषा थोरट समिति की रिपोर्ट के सुझावों का अध्ययन किया और उनमें से कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया. इनमें घरेलू बैंकों को किसी भी समय अनिवासी भारतीयों को भारतीय खाते से बाहर घरेलू बिक्री टीम या विदेशी शाखाओं के जरिये विदेशी विनिमय की पेशकश करना शामिल है. रिजर्व बैंक ने कहा कि समिति के अन्य सुझावों पर विचार किया जा रहा है और आने वाले समय में लिए जाने वाले निर्णयों की घोषणा की जायेगी.

Website	Republic Hindi.com
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	https://www.republichindi.com/news/business/rbi-increased-loan-limit-to-rs-1-25-lakh-for-mfi/11183.html



रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिये कर्ज देने की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये की

6 Shares
 3.3K people like this. Sign Up to see what your friends like.
 By Republichindi desk | Publish Date: 10/4/2019 5:17:13 PM



रिपब्लिक हिंदी डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिये कर्ज देने की सीमा को पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर शुक्रवार को 1.25 लाख रुपये कर दिया. यह कदम ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिये उठाया गया है.

रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) या सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) से कर्ज लेने वाले कर्जदारों के लिये घरेलू आय की पात्र सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों के लिये 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया. रिजर्व बैंक ने कहा कि इस बारे में जल्दी ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे.

सूक्ष्म वित्त इकाइयों के मंच एमएफआईएन के अध्यक्ष मनोज नाम्बियार ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए एक बयान में कहा कि " यह अच्छा फैसला है परिवारों की आय में 2015 से हुए बदलाव को परिलक्षित करता है और इससे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ग्राहक पहले से ज्यादा कर्ज ले सकेंगे." उन्होंने कहा कि सूक्ष्म रिण संस्थाएं पांच करोड़ से अधिक लोगों की मदद कर वित्तीय समावेश को बढ़ाने में योगदान कर रही हैं.

रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिये कर्ज देने की सीमा बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये की

रिपब्लिक हिंदी डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिये कर्ज देने की सीमा को पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर शुक्रवार को 1.25 लाख रुपये कर दिया. यह कदम ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिये उठाया गया है.

रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) या सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) से कर्ज लेने वाले कर्जदारों के लिये घरेलू आय की पात्र सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर

1.60 लाख रुपये और शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों के लिये 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया. रिजर्व बैंक ने कहा कि इस बारे में जल्दी ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे.

सूक्ष्म वित्त इकाइयों के मंच एमएफआईएन के अध्यक्ष मनोज नाम्बियार ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए एक बयान में कहा कि “ यह अच्छा फैसला है परिवारों की आय में 2015 से हुए बदलाव को परिलक्षित करता है और इससे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ग्राहक पहले से ज्यादा कर्ज ले सकेंगे.” उन्होंने कहा कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं पांच करोड़ से अधिक लोगों की मदद कर वित्तीय समावेश को बढ़ाने में योगदान कर रही हैं.

उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने 2010 में आंध्र प्रदेश के सूक्ष्म वित्त संकट के मद्देनजर वाई.एच.मालेगम की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया था. उप-समिति को सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों तथा चुनौतियों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गयी थी. उप-समिति के सुझावों के आधार पर ही एनबीएफसी-एमएफआई की अलग श्रेणी गठित की गयी थी तथा दिसंबर 2011 में विस्तृत नियामकीय रूपरेखा जारी की गयी थी.

रिजर्व बैंक ने कहा कि वह भारतीय रुपये में विदेशी लेन-देन विशेषकर बाह्य वाणिज्यिक कर्ज, व्यापार ऋण तथा निर्यात एवं आयात को प्रोत्साहित करने के कदम उठा रहा है. विदेशों में रुपये के बाजार के संबंध में रिजर्व बैंक ने उषा थोरट समिति की रिपोर्ट के सुझावों का अध्ययन किया और उनमें से कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया. इनमें घरेलू बैंकों को किसी भी समय अनिवासी भारतीयों को भारतीय खाते से बाहर घरेलू बिक्री टीम या विदेशी शाखाओं के जरिये विदेशी विनिमय की पेशकश करना शामिल है. रिजर्व बैंक ने कहा कि समिति के अन्य सुझावों पर विचार किया जा रहा है और आने वाले समय में लिये जाने वाले निर्णयों की घोषणा की जाएगी.

Website	attacknews.in
Edition	Online
Date	04 th October, 2019
Link	http://attacknews.in/reserve-bank-increase-micro-loan-limit-and-6-1-percent-gdp-valuable-year-target/

attacknews.in

आज की खबर आज और आज की दुनिया अभी



रिजर्व बैंक ने सबसे छोटे संस्थानों को ऋण सीमा 1.25 लाख और कर्ज लेने आय सीमा 1.60 लाख रुपये की , GDP की वृद्धि दर घटाकर 6.1% रहने का अनुमान दिया ATTACKNEWS.IN

Administrator Attack News 4 weeks ago Business

मुंबई, चार अक्टूबर | रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिये कर्ज देने की सीमा को पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर शुक्रवार को 1.25 लाख रुपये कर दिया। यह कदम ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिये उठाया गया है।

रिजर्व बैंक ने शीर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) या सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) से कर्ज लेने वाले कर्जदारों के लिये घरेलू आय की पात्र सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों के लिये 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया।

रिजर्व बैंक ने सबसे छोटे संस्थानों को ऋण सीमा 1.25 लाख और कर्ज लेने आय सीमा 1.60 लाख रुपये की , GDP की वृद्धि दर घटाकर 6.1% रहने का अनुमान दिया

रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिये कर्ज देने की सीमा को पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर शुक्रवार को 1.25 लाख रुपये कर दिया। यह कदम ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में कर्ज की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिये उठाया गया है।

रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) या सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) से कर्ज लेने वाले कर्जदारों के लिये घरेलू आय की पात्र सीमा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये पहले के एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपये और शहरी एवं कस्बाई क्षेत्रों के लिये 1.25 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया।

रिजर्व बैंक ने कहा कि इस बारे में जल्दी ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जाएंगे।

सूक्ष्म वित्त इकाइयों के मंच एमएफआईएन के अध्यक्ष मनोज नाम्बियार ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए एक बयान में कहा कि “ यह अच्छा फैसला है परिवारों की आय में 2015 से हुए बदलाव को परिलक्षित करता है और इससे सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के ग्राहक पहले से ज्यादा कर्ज ले सकेंगे।” उन्होंने कहा कि सूक्ष्म वित्त संस्थाएं पांच करोड़ से अधिक लोगों की मदद कर वित्तीय समावेश को बढ़ाने में योगदान कर रही हैं।

उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक ने 2010 में आंध्र प्रदेश के सूक्ष्म वित्त संकट के मद्देनजर वाई.एच.मालेगम की अध्यक्षता में एक उप-समिति का गठन किया था। उप-समिति को सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के मुद्दों तथा चुनौतियों का अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गयी थी।

उप-समिति के सुझावों के आधार पर ही एनबीएफसी-एमएफआई की अलग श्रेणी गठित की गयी थी तथा दिसंबर 2011 में विस्तृत नियामकीय रूपरेखा जारी की गयी थी।

रिजर्व बैंक ने कहा कि वह भारतीय रुपये में विदेशी लेन-देन विशेषकर बाह्य वाणिज्यिक कर्ज, व्यापार ऋण तथा निर्यात एवं आयात को प्रोत्साहित करने के कदम उठा रहा है।

विदेशों में रुपये के बाजार के संबंध में रिजर्व बैंक ने उषा थोर्ट समिति की रिपोर्ट के सुझावों का अध्ययन किया और उनमें से कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया। इनमें घरेलू बैंकों को किसी भी समय अनिवासी भारतीयों को भारतीय खाते से बाहर घरेलू बिक्री टीम या विदेशी शाखाओं के जरिये विदेशी विनिमय की पेशकश करना शामिल है।

रिजर्व बैंक ने कहा कि समिति के अन्य सुझावों पर विचार किया जा रहा है और आने वाले समय में लिये जाने वाले निर्णयों की घोषणा की जाएगी।

आर्थिक वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रहने का आकलन-

भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2019- 20 के लिये आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान शुक्रवार को घटाकर 6.1 प्रतिशत कर दिया। पहले यह 6.9 प्रतिशत रखा गया था। उसने उम्मीद जतायी है कि वर्ष की दूसरी छमाही में वृद्धि में सुधार होगा।

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर के छह साल के निचले स्तर पांच प्रतिशत पर पहुंच जाने के बाद केंद्रीय बैंक का जीडीपी वृद्धि दर के बारे में यह ताजा अनुमान आया है। निजी क्षेत्र की खपत और निवेश में नरमी को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है।

आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए सरकार ने कई प्रोत्साहन उपाय किए हैं। इनमें कारपोरेट कर में 10

प्रतिशत तक की भारी कटौती जैसे प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने बैंकों में पूंजी डालने की भी घोषणा की है।

चालू वित्त वर्ष की चौथी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा शुक्रवार को की गयी। इसमें केंद्रीय बैंक ने कहा है कि सरकार के प्रोत्साहन उपायों, नीतिगत दरों में कटौती और अनुकूल बुनियादी कारकों के चलते हर तिमाही में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार सुधरेगी।

रिजर्व बैंक ने 2020-21 में देश की आर्थिक वृद्धि दर के सात प्रतिशत पर वापस लौटने का अनुमान जताया है। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने कहा कि निकट अवधि में अर्थव्यवस्था का सफर 'कई जोखिमों से भरा' है।

वृद्धि अनुमान में इस बड़ी कटौती की वजह बताते हुए रिजर्व बैंक ने कहा कि निजी क्षेत्र की खपत और निवेश उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ सकी। वहीं वैश्विक व्यापार में नरमी के दबाव से निर्यात की रफ्तार खो गयी।

मौद्रिक नीति के अनुसार, “आधारभूत आकलनों, सर्वेक्षण के संकेतकों, बुनियादी कारकों और फरवरी से रेपो दर में की जा रही कटौती को ध्यान में रखते हुए 2019-20 में जीडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। जोखिमों का समान रूप से संतुलन करने के साथ यह दूसरी तिमाही में 5.3 प्रतिशत, तीसरी में 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 7.2 प्रतिशत रह सकती है।”

रपट में कहा गया है कि व्यापार तनाव बढ़ने, नो-डील ब्रेक्जिट समझौता नहीं होने और वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ने से बुनियादी विकास के रास्ते में जोखिम बना है।

हालांकि, अगस्त-सितंबर में निवेश और वृद्धि बढ़ाने के सरकार के उपायों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में सुधार सरकारी बैंकों में पूंजी डालने और सरकारी बैंकों के विलय से जीडीपी वृद्धि दर की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है।

इसके अलावा निर्यात और रीयल एस्टेट को प्रोत्साहन, कारपोरेट आयकर की दर में कमी, दबाव वाली परिसंपत्तियों के तेजी से समाधान और रेपो दर में कटौती का लाभ तेजी से नीचे तक पहुंचाने से वृद्धि बढ़ाने में मदद मिलेगी।

रिजर्व बैंक द्वारा पेशेवर आकलनकर्ताओं के बीच कराए गए छमाही सर्वेक्षण में भी जीडीपी वृद्धि दर अनुमान 6.1 प्रतिशत पर रहा। 2020-21 के लिए यह सात प्रतिशत तक पहुंचा है। यह केंद्रीय बैंक के स्वयं के अनुमान के मुताबिक है।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बार-बार कहा है कि जब भी गुंजाइश होगी केंद्रीय बैंक वृद्धि संबंधी चिंताओं को दूर करने और अर्थव्यवस्था को उबारने में मदद करता रहेगा।

Thank You!